[2020] 14 एस. सी. आर. 510

एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड

वी.

एमएमटीसी लिमिटेड।

(2020 की सिविल अपील No.4083)

17 दिसंबर, 2020

[रोहिंटन फाली नरीमन और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: अंतर्राष्ट्रीय

वाणिज्यिक मध्यस्थता-वर्तमान मामला एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का है, बहुमत पुरस्कार नई दिल्ली में 12.05.2014 पर दिया जा रहा है-मामले पर कानून के आधार पर बहस की गई थी क्योंकि यह मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम के समक्ष खड़ा था।

ऐसा मैदान नहीं जिसे 23.10.2015 के बाद भारत में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक पुरस्कार को चुनौती देने के लिए लिया जा सके, जब संशोधन लागू किया गया था-एसोसिएट बिल्डर्स में निर्धारित न्यायिक समीक्षा के मापदंडों को देखते हुए, न तो आधार

भारतीय कानून की मौलिक नीति, और न ही इस मामले के तथ्यों में पेटेंट अवैधता का आधार बनाया गया है, इस तथ्य को देखते हुए कि बहुमत पुरस्कार निश्चित रूप से मामले में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर एक संभावित दृष्टिकोण है, जो नहीं हो सकता है

या तो विकृत होने या नहीं पर आधारित होने के रूप में विशेषता

साक्ष्य-बहुमत पुरस्कार, पक्षों के बीच पूरे पत्राचार को पढ़ने और मौखिक साक्ष्य की जांच करने के बाद, एक संभावित दृष्टिकोण पर आया है, दोनों उत्तरदाता के उल्लंघन में होने पर, और नुकसान की मात्रा पर-बहुमत पुरस्कार निश्चित रूप से मामले का एक संभावित दृष्टिकोण है, और इस प्रकार, किसी भी तरह से, के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है

विकृत।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: धारा 92, परंतुक (6) और चित्रण (च); एस. 94 और एस. 95 - पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए दस्तावेजों की व्याख्या

एक अनुबंध के प्रदर्शन में-प्रावधान को एक साथ पढ़ना (6)

और चित्रण (च) से एस। 92 , एस. 94 और एस. 95 साक्ष्य अधिनियम से पता चलता है कि जब किसी अनुबंध के निष्पादन में पक्षों के बीच कई दस्तावेजों का आदान-प्रदान होता है, तो उन सभी को एक जुड़े हुए पूरे के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो प्रत्येक विशेष दस्तावेज़ को "मौजूदा" से संबंधित करता है।

तथ्य ", जिसमें पक्षकारों के बीच पत्राचार की संपूर्णता को देखते हुए, एक विशेष अर्थ में विशेष शब्दों का उपयोग कैसे किया जाता है, शामिल है-इस प्रकार, प्रावधान (6) से धाराओं के लागू होने के बाद। 92 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को पेटेंट अस्पष्टता से संबंधित प्रावधानों को लागू करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसे पहले यह पता लगाना होगा कि क्या किसी विशेष दस्तावेज़ की सरल भाषा लागू होती है।

यदि, हालांकि, यह अस्पष्ट है या मौजूदा तथ्यों के लिए सटीक है

एल. टी. ए. की संपूर्णता की आसपास की परिस्थितियाँ और एक बार दोनों पक्षों के बीच जो पत्राचार हुआ

अभ्यास किया जाता है, जैसा कि बहुमत पुरस्कार द्वारा किया गया था, यह मानना संभव नहीं था कि बहुमत पुरस्कार इस मामले के तथ्यों पर एक संभावित दृष्टिकोण नहीं था-साक्ष्य द्वारा समर्थित पक्षों के बीच पत्राचार पर बहुमत पुरस्कार की निर्भरता।

अपीलार्थी की ओर से, इसलिए त्रुटिपूर्ण नहीं था।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: एसएस। 92 , 94 , 95 - एक "पेटेंट अस्पष्टता"

प्रावधान, जैसा कि एस में निहित है। 94 साक्ष्य अधिनियम, केवल तभी लागू होता है जब कोई दस्तावेज मौजूदा तथ्यों पर सटीक रूप से लागू होता है, जिसमें यह भी शामिल है कि किसी विशेष अर्थ में किसी विशेष शब्द का उपयोग कैसे किया जाता है-यह देखते हुए कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, तीन "महत्वपूर्ण" ईमेलों में कोयले की आपूर्ति किस कीमत पर की जानी थी, इसका कोई उल्लेख नहीं था, इन ईमेलों को पक्षों के बीच पत्राचार की संपूर्णता के हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो तब तथाकथित होगा।

" ईमेल में प्रवेश मौजूदा तथ्यों पर लागू होते हैं एक बार ऐसा करने के बाद, यह स्पष्ट हो जाता है कि एस में निहित "पेटेंट अस्पष्टता" सिद्धांत के आगे आवेदन की कोई गुंजाइश नहीं है। 94 साक्ष्य अधिनियम, वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए-हालाँकि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 95, अव्यक्त अस्पष्टता से निपटने के लिए, जब परंतुक (6) और चित्रण (च) से धाराओं के साथ पढ़ा जाता है। 92 साक्ष्य अधिनियम की धारा, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू हो सकती है, जैसे कि जब किसी दस्तावेज़ की साधारण भाषा किसी विशेष अर्थ में विशेष शब्दों का उपयोग करने के संदर्भ में अर्थहीन हो, तो पत्राचार की संपूर्णता को देखते हुए, साक्ष्य को ऐसी भाषा के विशिष्ट अर्थ को दिखाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है इसलिए, यदि यह प्रावधान लागू किया जाता है, तो बहुमत पुरस्कार को दोष नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इसने श्री विल्कोक्स द्वारा दिए गए साक्ष्य को स्वीकार किया है, जिसमें [2020] 14 एस. सी. आर.

उन्होंने समझाया कि तीन ईमेल केवल तभी सार्थक होंगे जब उन्हें कोयले की "मिश्रित" आपूर्ति के लिए लिया जाए, न कि अनुबंध मूल्य पर कोयले की आपूर्ति के लिए।

साक्ष्य का कानून-अव्यक्त अस्पष्टता और पेटेंट अस्पष्टता

के बीच अंतर।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 बहुमत पुरस्कार द्वारा इस तथ्य का निष्कर्ष निकाला गया है कि अपीलार्थी अनुबंधित मात्रा की आपूर्ति करने में सक्षम था

पांचवीं वितरण अवधि के लिए अनुबंध मूल्य पर कोयला, और यह कि यह प्रतिवादी था जो बाजार में मंदी के कारण कोयले को उठाने के लिए तैयार नहीं था, प्रत्यर्थी इस तथ्य से अवगत था कि अनुबंध करने में केवल वाणिज्यिक कठिनाई अनुबंध की हताशा के बराबर नहीं होगी। यही कारण था कि प्रत्यर्थी ने विचार के बाद, अपीलार्थी के दिनांकित कानूनी नोटिस के जवाब में, इस आधार पर अपीलार्थी पर हमला करने का फैसला किया कि यह अपीलार्थी ही था जो पांचवीं डिलीवरी अवधि में अनुबंधित मात्रा की आपूर्ति करने में असमर्थ था। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है, तो यह स्पष्ट है कि बहुमत पुरस्कार, पक्षों के बीच पूरे पत्राचार को पढ़ने और मौखिक साक्ष्य की जांच करने के बाद, प्रतिवादी के उल्लंघन में होने और नुकसान की मात्रा दोनों पर एक संभावित दृष्टिकोण पर आया है। [पैरा 17] [545-ए-डी]

1.2 डिवीजन बेंच का पूरा दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे पत्राचार में से तीन ईमेल चुनें और एल. टी. ए. के संदर्भ को ध्यान में रखे बिना अकेले उन तीन ईमेलों पर निर्णय दें और उन तीन ईमेलों से पहले और बाद में पत्राचार, डिवीजन बेंच के फैसले को मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण बना देगा। इसके अलावा, यह निष्कर्ष कि इस बात का "कोई सबूत नहीं" था कि प्रत्यर्थी ने संविदात्मक दर की तुलना में कम दर पर कोयले की उपज की मांग की थी, पक्षकारों के बीच कम से कम तीन अलग-अलग आदान-प्रदान के सामने उड़ता है, जो कि प्रत्यर्थी के पत्र हैं।

दिनांकित 20.11.2008,27.11.2009 और 03.12.2009। समान रूप से, खोज

डिवीजन बेंच ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था कि अपीलार्थी के पास एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड के दौरान प्रतिवादी को आपूर्ति करने के लिए 454,034 मीट्रिक टन कोयले की शेष मात्रा की उपलब्धता थी।

वी. एमएमटीसी लिमिटेड।

1.3 महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि इस अवधि के दौरान आदान-प्रदान किए गए किसी भी ईमेल या पत्र में कोयले की कोई कीमत नहीं बताई गई थी। वास्तव में यह वही है जिसे बहुमत पुरस्कार विज्ञापन देता है और श्री द्वारा दिए गए साक्ष्य का सहारा लेकर इसे भरता है। विल्कोक्स ने कहा कि अस्पष्टता की कीमत इस तथ्य से हल की गई थी कि संविदात्मक मूल्य से कम कीमत पर उठाने के लिए कोई कोयला उपलब्ध नहीं था। श्री विल्कोक्स के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए बहुमत पुरस्कार ने पाया कि अगस्त और सितंबर, 2009 में जो आपूर्ति करने की मांग की गई थी, वह भी "मिश्रित" आपूर्ति की प्रकृति में थी, यानी अनुबंध मूल्य पर कोयले के साथ-साथ बहुत कम मूल्य पर कोयले की। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे विकृत के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि साक्ष्यों से स्पष्ट है, बाजार में मंदी की स्थिति का तथ्यात्मक मैट्रिक्स, जिसमें अनुबंध का प्रदर्शन हुआ था, साथ ही इस बारे में अस्पष्टता कि क्या पत्राचार संविदात्मक मूल्य या "मिश्रित" मूल्य को संदर्भित करता है, और इस प्रकार, एक संभावित दृष्टिकोण है। [पैरा 21] [546-सी-ई]

2. साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 "अनुबंध, अनुदान या संपत्ति के अन्य निपटान या किसी भी मामले" की शर्तों को संदर्भित करती है।

कानून द्वारा आवश्यक है कि इसे दस्तावेज़ के रूप में घटाया जाए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 का चित्रण (च) इंगित करता है कि तथ्य, जो इसके बावजूद, अस्पष्ट और अस्पष्ट हो सकते हैं, अनुबंध की प्रासंगिक सेटिंग में निश्चित किए जा सकते हैं, अनुदान [2020] 14 एस. सी. आर.

3.1 साक्ष्य अधिनियम की धारा 94 में निहित एक "पेटेंट अस्पष्टता" प्रावधान केवल तभी लागू होता है जब कोई दस्तावेज़ लागू होता है। मौजूदा तथ्यों के लिए सटीक रूप से, जिसमें शामिल है कि किसी विशेष अर्थ में किसी विशेष शब्द का उपयोग कैसे किया जाता है। यह देखते हुए कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, तीन "महत्वपूर्ण" ईमेलों में कोयले की आपूर्ति किस कीमत पर की जानी थी, इसका कोई उल्लेख नहीं था, इन ईमेलों को पक्षों के बीच पत्राचार की संपूर्णता के हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो तब उपरोक्त ईमेलों में तथाकथित "स्वीकार" को मौजूदा तथ्यों पर लागू करता है। एक बार ऐसा करने के बाद, यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 94 में निहित "पेटेंट अस्पष्टता" सिद्धांत को आगे लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

साक्ष्य अधिनियम, वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए। हालाँकि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 95, अव्यक्त अस्पष्टता से निपटने के लिए, जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के परंतुक (6) और चित्रण (च) के साथ पढ़ा जाता है, तो वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू हो सकता है, जैसे कि जब किसी दस्तावेज़ की सादा भाषा अन्यथा इस संदर्भ में अर्थहीन होती है कि किसी विशेष अर्थ में विशेष शब्दों का उपयोग कैसे किया जाता है, तो पत्राचार की संपूर्णता को देखते हुए, साक्ष्य को ऐसी भाषा के विशिष्ट अर्थ को दिखाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस प्रकार, यदि यह प्रावधान लागू किया जाता है, तो बहुमत पुरस्कार को दोष नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इसने स्वीकार किया है श्री विल्कोक्स द्वारा दिए गए साक्ष्य, जिसमें उन्होंने समझाया कि तीन ईमेल केवल तभी सार्थक होंगे जब उन्हें एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड को संदर्भित करने के लिए लिया गया हो।

वी. एमएमटीसी लिमिटेड।

कोयले की "मिश्रित" आपूर्ति, और संविदात्मक मूल्य पर कोयले की आपूर्ति नहीं। [पैरा 31,32] [552-ई-एच; 553-ए-बी]

3.2 जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 92, धारा 94 और धारा 95 के परंतुक (6) और चित्रण (च) को एक साथ पढ़ा जाता है,

जो तस्वीर सामने आती है वह यह है कि जब किसी अनुबंध के निष्पादन में पक्षों के बीच कई दस्तावेजों का आदान-प्रदान होता है, तो उन सभी को एक जुड़े हुए पूरे के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो प्रत्येक विशेष दस्तावेज को "मौजूदा तथ्यों" से संबंधित करता है, जिसमें यह शामिल है कि पार्टियों के बीच पत्राचार की संपूर्णता को देखते हुए एक विशेष अर्थ में विशेष शब्दों का उपयोग कैसे किया जाता है। इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 में परंतुक (6) के लागू होने के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को पेटेंट अस्पष्टता से संबंधित प्रावधानों को लागू करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसे पहले इसका पता लगाना चाहिए

क्या किसी विशेष दस्तावेज़ की साधारण भाषा मौजूदा तथ्यों पर सटीक रूप से लागू होती है। हालाँकि, यदि यह मौजूदा तथ्यों के संदर्भ में अस्पष्ट या अर्थहीन है, तो यह दिखाने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि किसी विशेष दस्तावेज़ में उपयोग किए गए शब्दों का उपयोग इस अर्थ में किया गया था जो उपरोक्त शब्दों को पक्षों के बीच पत्राचार की संपूर्णता के संदर्भ में सार्थक बना देगा। [पैरा 34] [57-डी-जी]

उल्लंघन की तारीख को हुए नुकसान का प्रमाण भी तथ्यात्मक रूप से गलत है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण गुणवत्ता के साथ-साथ उसके समक्ष साक्ष्य की मात्रा का अंतिम न्यायाधीश है। बहुमत पुरस्कार में श्री. विल्कोक्स का एफिडेविट दिनांक 10.07.2013 और अतिरिक्त एफिडेविट दिनांक 03.09.2013 में पांचवीं डिलीवरी अवधि के दौरान चीनी खरीदारों को कोयले की बिक्री की गई कीमतों का विवरण दिया गया है, जो 30.09.2009 पर समाप्त हुई, जो बहुमत पुरस्कार द्वारा पाए गए उल्लंघन की तारीख है। इसके अलावा, 27.11.2009 और 03.12.2009 दिनांकित पत्रों सहित समकालीन पत्राचार पर भी [2020] 14 एस. सी. आर. पर भरोसा किया गया था।

यह दिखाने के लिए कि प्रतिवादी स्वयं कोयले की मांग कर रहा था लगभग एक ही समय में 128 डॉलर प्रति मीट्रिक टन की कीमत। इसलिए, संविदात्मक मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर कानून के अनुसार $173.383 प्रति मीट्रिक टन था। प्रत्यर्थी के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि 27.11.2009 या 03.12.2009 दिनांकित पत्र स्वीकार नहीं करते हैं।

यह उल्लंघन की तारीख को कोयले के बाजार मूल्य को दर्शाता है या यह कि उल्लंघन की तारीख के लगभग एक ही समय पर संचालित विशेष दीर्घकालिक अनुबंधों से कोयले का बाजार मूल्य स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस तर्क को खारिज किया जाता है। [पारस 37,38,40] [558-एफ-एच; 559-ए-डी; 560-एच; 561-ए]

श्रीमती. कमला देवी बनाम। सेठ तख्तमल और अन्र। [1964] 2 एस. सी. आर. 152; सुदर्शन ट्रेडिंग कं. v. सरकार. केरल का (1989) 2 एससीसी 38: [1989] 1 एससीआर 665; मुरलीधर

चिरंजीलाल बनाम। हरिश्चंद्र द्वारकादास और अन्र। [1962] 1 एस. सी. आर. 653-निर्भर

5. वर्तमान मामला एक अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन का है।

मध्यस्थता, बहुमत पुरस्कार नई दिल्ली में 12.05.2014 पर दिया जा रहा है। नतीजतन, इस मामले पर कानून के आधार पर तर्क दिया गया है क्योंकि यह मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 से पहले खड़ा था, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 में धारा 34 (1) और उप-धारा (2 ए) में दो स्पष्टीकरण जोड़े गए थे, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि "पेटेंट अवैधता का आधार दिखाई दे रहा है। पुरस्कार के रूप में "ऐसा कोई आधार नहीं है जिसे संशोधन लागू होने के बाद 23.10.2015 के बाद भारत में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक पुरस्कार को चुनौती देने के लिए लिया जा सके। एसोसिएट बिल्डर्स में निर्धारित न्यायिक समीक्षा के मापदंडों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि इस मामले के तथ्यों में न तो भारतीय कानून की मौलिक नीति का आधार बनाया गया है और न ही पेटेंट अवैधता का आधार, इस तथ्य को देखते हुए कि बहुमत पुरस्कार निश्चित रूप से मामले में दिए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित एक संभावित दृष्टिकोण है, जिसे विकृत या बिना किसी साक्ष्य के होने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। [पैरा 41,44] [561-बी-सी; 565-बी-डी]

एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डीडीए (2015) 3 एससीसी 49: [2014] 13

एस. सी. आर. 895 ए. एन. जी. एल. ओ. अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पी. टी. वाई. लिमिटेड पर निर्भर था। वी. एमएमटीसी लिमिटेड।

एमएमटीसी लिमिटेड बनाम। वेदांत लिमिटेड (2019) 4 एस. सी. सी. 163: [2019] 3

एस. सी. आर. 1023; डायना टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड वी. क्रॉम्पटम ग्रीव्स लिमिटेड 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1656; पारसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड बनाम. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम

लिमिटेड (2019) 7 एससीसी 236: [2019] 8 एस. सी. आर. 728; दक्षिण पूर्व एशिया मरीन इंजीनियरिंग। & कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एस. ई. ए. एम. ई. सी.)

लिमिटेड) वी. ऑयल इंडिया लिमिटेड (2020) 5 एस. सी. सी. 1649; पटेल एंग। लिमिटेड वी. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन। लिमिटेड (2020) 7 एस. सी. सी. 167 [2019] 7 एस. सी. आर. 522; सांगयोंग एंग। & कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम एनएचएआई (2019) 15 एससीसी 131: [2019] 7 एस. सी. आर. 522-लागू नहीं है

रघुनाथन बनाम। कीर्तनानंद एयर 1932 पी. सी. 131; ज्यूरिख

बीमा (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड बनाम। बी-गोल्ड इंटीरियर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन पीटीई लिमिटेड [2008] एसजीसीए 27; ट्रांसमिशन कॉर्प। आंध्र प्रदेश लिमिटेड बनाम जी. एम. आर. वेमागिरी पावर जेनरेशन लिमिटेड (2018) 3 एस. सी. सी. 716; रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 1994 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 644: [1993] 3 पूरक। एससीआर 22; ओएनजीसी लिमिटेड बनाम। सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एससीसी 705: [2003] 3 एस. सी. आर. 691; भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम आई. टी. डी. सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड (2015) 14 एस. सी. सी. 21: [2015] 6 एससीआर 107; सेंट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल इंक. v. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (2017) 2 एससीसी 228: [2016] 9 एस. सी. आर. 83; वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग। एल. एल. सी. बनाम टेक महिंद्रा लिमिटेड (2018) 1 एस. सी. सी. 656: [2017] 12 एससीआर 259; सतलुज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम। राज्य (केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़) (2018) 1 एस. सी. सी. 718 [2017] 12 एस. सी. आर. 134; महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड v.

दातार स्विचगियर लिमिटेड (2018) 3 एस. सी. सी. 133: [2018] 1 एससीआर 733; एचआरडी कार्पोरेशन। वी. गेल (इंडिया) लिमिटेड (2018) 12 एस. सी. सी. 471: [2017] 11 एससीआर 857; एम. पी. विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड बनाम एएनएसएएलडीओ एनर्जी एसपीए, (2018) 16 एससीसी 661; श्रीराम ईपीसी लिमिटेड बनाम। रियोग्लास सोलर सा (2018) 18 एस. सी. सी. 313; झारखंड राज्य बनाम। एच. एस. एस. एकीकृत एस. डी. एन. (2019) 9 एस. सी. सी. 798; सांगयोंग एंग। & निर्माण कंपनी लिमिटेड

वी. एनएचएआई (2019) 15 एससीसी 131: [2019] 7 एस. सी. आर. 522-[2020] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[1964] 2 एससीआर 152

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

ए. आई. आर 1932 पी. सी. 131

पैरा 23

संदर्भित किया गया है

(2018) 3 एस. सी. सी. 716

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

[1989] 1 एससीआर 665

उस पर भरोसा करें

पैरा 38

[1962] 1 एससीआर 653

उस पर भरोसा करें

पैरा 38

[1993] 3 पूरक। एस. सी. आर. 22 संदर्भित

पैरा 42

[2003] 3 एससीआर 691

संदर्भित किया गया है

पैरा 42

[2015] 6 एससीआर 107

पैरा 43 (ए)

संदर्भित किया गया है

[2016] 9 एससीआर 83

पैरा 43

(बी)

संदर्भित किया गया है

[2017] 12 एससीआर 259

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

(सी)

[2017] 12 एससीआर 134

पैरा 43

(डी)

संदर्भित किया गया है

[2018] 1 एससीआर 733

पैरा 43 (ई)

संदर्भित किया गया है

[2017] 11 एससीआर 857

पैरा 43

(एफ)

संदर्भित किया गया है

(2018) 16 एस. सी. सी. 661

पैरा 43

(जी)

संदर्भित किया गया है

(2018) 18 एस. सी. सी. 313

पैरा 43

(एच)

संदर्भित किया गया है

(2019) 9 एस. सी. सी. 798

संदर्भित किया गया है

पैरा 43 (i)

[2014] 13 एससीआर 895

उस पर भरोसा करें

पैरा 44

अप्रयोज्य रखा गया

[2019] 3 एससीआर 1023

पैरा 45

अप्रयोज्य रखा गया

[2019] 8 एससीआर 728

पैरा 47

(2020) 5 एस. सी. सी. 1649

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 48

[2019] 7 एससीआर 522

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 49

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4083

20

उच्च न्यायालय के 02.03.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

नई दिल्ली में एफएओ (ओएस) 532/2015 में।

कपिल सिब्बल, नीरज किशन कौल, मुकल रोहतगी, संजीव पुरी, सीनियर।

. , अमन अहलूवालिया, समर सिंह कछवाहा, सुश्री अंकित खुशु, अवेंद्र मोहन बजाज, सुश्री गरिमा बजाज, अग्निश आदित्य, आयुष एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल लिमिटेड।

वी. एमएमटीसी लिमिटेड।

मारवाह, सुश्री चानन परवानी, सुश्री शिवांगी नंदा, सुश्री अनुराधा दत्त, सुश्री सुमन यादव, आदित्य सरीन, सुश्री दिव्या कृष्णन, अखिल सच्चर, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

और कुछ प्रकार के कोयले का निर्यात करता है। अपीलार्थी और एम. एम. टी. सी. लिमिटेड के बीच दिनांक 07.03.2007 ["एल. टी. ए".] के एक दीर्घकालिक समझौते द्वारा। [" प्रत्यर्थी], अपीलार्थी, जिसे एल. टी. ए. में "विक्रेता" के रूप में संदर्भित किया गया है, ने प्रत्यर्थी को कुछ मात्रा में ताजा खनन और धोए गए "जर्मन क्रीक", "इसाक" (65 प्रतिशत मोरानबाह उत्तर और 35 प्रतिशत जर्मन क्रीक कोकिंग कोयले का मिश्रण) और "मोरानबाह उत्तर" कोकिंग कोयले की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की। इस एल. टी. ए. का खंड 1 सामग्री है और निम्नानुसार कहता हैः

" वर्ग 1: सामग्री, गुणवत्ता, गुणवत्ता और

विक्रेता बेचेगा और खरीदार खरीदेगा, क) अनुबंध की मुद्रा के दौरान आधार मात्रा 4,66,000 (चार सौ छियासठ हजार) मीट्रिक टन (एक की) होगी।

प्रत्येक हजार किलोग्राम) दृढ़।

ख) पहली डिलीवरी अवधि (1 जुलाई, 2004 से 30 जून, 2005) के दौरान, 464,374 (चार सौ चौंसठ हजार, तीन सौ चौंसठ) मीट्रिक टन (प्रत्येक एक हजार किलोग्राम) की मात्रा में ताजा खनन और धोए गए "इसाक", "मोरानबाह नॉर्थ" और "जर्मन क्रीक" कोकिंग कोयले की ठोस मात्रा।

ग) दूसरी डिलीवरी अवधि (1 जुलाई, 2005 से 30 जून, 2006) के दौरान 382,769 (तीन सौ अस्सी दो हजार, सात सौ उनसठ) मीट्रिक टन (प्रत्येक एक हजार किलोग्राम) की ठोस मात्रा में ताजा खनन और धोया गया

" इसाक ", मोरानबाह नॉर्थ" और "जर्मन क्रीक" खाना पकाने के कोयले। घ) तीसरी डिलीवरी अवधि (1 जुलाई, 2006 से 30 जून, 2007) के दौरान 466,000 (चार सौ छियासठ हजार) मीट्रिक टन (प्रत्येक एक हजार किलोग्राम) की मात्रा में ताजा खनन और धोए गए "इसाक", "मोरानबाह नॉर्थ" और "जर्मन क्रीक" कोकिंग कोयले की ठोस मात्रा।

इस समझौते के अनुलग्नक IIA, अनुलग्नक IIB और अनुलग्नक IIC में निहित है। 1.1. 1 1 जुलाई, 2007 से 30 जून, 2009 तक वार्षिक आधार मात्रा, यदि खरीदार समझौते को 2 साल तक बढ़ाने के अपने विकल्प का प्रयोग करता है, तो 4,66,000 मीट्रिक टन होगी, जो अनुबंध विस्तार के समय आगे की चर्चा और मोरानबाह उत्तर और जर्मन क्रीक खनन में मौजूदा भंडारों की बदलती प्रकृति को दर्शाने के लिए तार्किक अनुबंध विनिर्देश संशोधनों के अधीन होगी।

संचालन पारस्परिक रूप से सहमत होंगे।

1.2 इस समझौते के उद्देश्य के लिए, वितरण अवधि की गणना निम्नानुसार की जाएगीः

पहली डिलीवरी अवधि 1 जुलाई 2004 से 30 जून 2005 तक

दूसरी डिलीवरी अवधि 1 जुलाई 2005 से 30 जून 2006 तक

तीसरी डिलीवरी अवधि 1 जुलाई 2006 से 30 जून 2007 तक

इसकी आवश्यकता के आधार पर और विक्रेता के साथ उपलब्धता के अधीन कोई भी वितरण अवधि। खरीदार के पास प्रत्येक डिलीवरी अवधि के तहत होने वाली डिलीवरी को 3 महीने तक स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है, यानी एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड।

वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

खरीदार के लिए किसी भी अतिरिक्त वित्तीय दायित्व के बिना, प्रत्येक वितरण अवधि के बाद सितंबर का महीना।

1.3 खरीदार के पास अपने विवेकाधिकार पर समझौते की अवधि को दो और वर्षों तक बढ़ाने का विकल्प था और खरीदार समझौते को दो और वर्षों तक या अन्यथा 31 जनवरी, 2007 तक बढ़ाने के अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता था। यदि खरीदार इस तरह के विकल्प का उपयोग करने का निर्णय लेता है, तो अपने दम पर विवेकाधिकार पर, समझौते की दो और वितरण अवधि निम्नानुसार होगीः

चौथी डिलीवरी अवधिः 1 सेंट जुलाई 2007 से 30 जून 2008 तक

पाँचवीं वितरण अवधिः 1 जुलाई 2008 से 30 जून 2009 तक "

3. एल. टी. ए. के खंड 2 के तहत, जो "मूल्य" को संदर्भित करता है, बाद की वितरण अवधि के लिए, जिसमें "पांचवीं वितरण अवधि" शामिल है, जिसके साथ हम सीधे तौर पर चिंतित हैं, यह निर्विवाद है कि जब एल. टी. ए. के अनुलग्नक I और 14.08.2008 दिनांकित एक पत्र के साथ पढ़ा जाता है, जो पांचवीं वितरण अवधि की शर्तों को निर्धारित करता है, तो कीमत 300 डॉलर प्रति मीट्रिक टन तय की गई थी। खंड 2.2 महत्वपूर्ण है और निम्नानुसार कहता हैः

" वर्ग 2: कीमत

XXX XXX XXX

2.2 बाद की डिलीवरी अवधि के लिए एग्रीमेंट मात्रा की डिलीवरी का मूल्य अनुलग्नक-1 के पैरा I के अनुसार तय किया जाएगा और यह दृढ़ होगा और किसी भी कारण से किसी भी वृद्धि के अधीन नहीं होगा, जब तक कि डिलीवरी के लिए देय एग्रीमेंट मात्रा की डिलीवरी पूरी नहीं हो जाती।

ऐसे विस्तार के साथ प्रासंगिक वितरण अवधि जिस पर खरीदार और विक्रेता के बीच पारस्परिक रूप से सहमति हो।

4. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच शिपमेंट या "स्टेम" के बारे में विवाद उत्पन्न हुए जिन्हें पांचवीं डिलीवरी अवधि द्वारा कवर किया जाना था, जो 01.07.2008 से 30.06.2009 तक था, पक्षकारों ने पारस्परिक रूप से इस अवधि को 30.09.2009 तक बढ़ाया। अगस्त 2008 से दिसंबर 2009 तक दोनों पक्षों के बीच कई ईमेल और पत्रों का आदान-प्रदान हुआ, जिनकी श्री पीटर लीवर (क्वींस काउंसल), न्यायमूर्ति वी. के. गुप्ता (सेवानिवृत्त) और श्री एंथनी हौटन (वरिष्ठ काउंसल) ["आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल"] वाले मध्यस्थों के एक पैनल द्वारा विस्तार से जांच की गई, जो नई दिल्ली में बैठे और नई दिल्ली में अपना अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पुरस्कार 12.05.2014 पर दिया। शुरुआत में यह कहा जा सकता है कि पुरस्कार बहुमत [2020] 14 एस. सी. आर. है।

पुरस्कार], दावेदार के पक्ष में, हमारे सामने अपीलकर्ता होने के नाते, न्यायमूर्ति वी. के. गुप्ता [असहमति पुरस्कार] द्वारा दिया जा रहा एक असहमति पुरस्कार, जिसमें अपीलार्थी के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। 5. बहुमत पुरस्कार को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 [मध्यस्थता अधिनियम] की धारा 34 के तहत चुनौती दी गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ["एकल न्यायाधीश"], जिन्होंने 10.07.2015 दिनांकित निर्णय द्वारा बहुमत पुरस्कार को बरकरार रखा। हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ["खंड पीठ"] की एक खंड पीठ ने दिनांक 02.03.2020 के विवादित फैसले द्वारा एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर दिया और धारा 37 के तहत दायर अपील को अनुमति दी।

प्रत्यर्थी द्वारा मध्यस्थता अधिनियम, बहुमत पुरस्कार को अलग करते हुए।

6. बहुमत पुरस्कार में विस्तृत कारण होते हैं, और चूंकि यह पक्षों के बीच गहन बहस का विषय है, इसलिए बहुमत पुरस्कार द्वारा पाए गए तथ्यों को सामग्री निष्कर्षों और अंतिम पुरस्कार के साथ निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। 5 ए। "आई. कॉमन ग्राउंड्स एंड इश्यूज इन डिस्प्यूट" शीर्षक के तहत, बहुमत पुरस्कार निर्विवाद तथ्यों के रूप में वर्णित करता है, जो इस प्रकार हैः

" I. सामान्य आधार और विवाद में मुद्दे

34. न्यायाधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले मुद्दों की सूची तैयार करने से पहले, कुछ निर्विवाद तथ्यों को पृष्ठभूमि के रूप में संक्षेपित किया जाता है। न्यायाधिकरण जिन मामलों को सामान्य आधार समझता है, उनका सारांश दावेदार के लेख में भी दिया गया है।

उद्घाटन प्रस्तुतिकरण दिनांक 16 सितंबर 2013। 35. 7 मार्च 2007 के एक दीर्घकालिक समझौते के तहत

जिसे प्रत्यर्थी ने ऑस्ट्रेलिया में डी. बी. सी. टी. ग्लैडस्टोन से एफ. ओ. बी. (छंटनी) आधार पर दावेदार से ताजा खनन और धोया हुआ कोकिंग कोयला खरीदने का अनुबंध किया था। दीर्घकालिक समझौता

जिन पर हस्ताक्षर किए गए थे, उन्हें समझौते द्वारा बढ़ाया गया था और 20 नवंबर 2008 के परिशिष्ट संख्या 2 के साथ पढ़ा जाना है। जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 5 में संदर्भित किया गया है, परिशिष्ट संख्या 2 द्वारा विस्तारित दीर्घकालिक समझौते को इसमें "समझौते" के रूप में संदर्भित किया गया है।

36. परिशिष्ट संख्या 2 से पहले, समझौते में तीन शामिल थेः प्रत्येक वर्ष की वितरण अवधि 1 जुलाई 2004 से शुरू होकर 30 जून 2007 को समाप्त होती है।

द लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड। वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसमें एक प्रावधान (खंड 1.3 में) शामिल था जो प्रत्यर्थी को दो और डिलीवरी अवधि के लिए दीर्घकालिक समझौते को बढ़ाने का विकल्प देता था, और इस विकल्प का उपयोग इस तरह से किया गया था कि खरीद और डिलीवरी भी चौथी डिलीवरी अवधि (1 जुलाई 2007 और 30 जून 2008 के बीच) और पांचवीं डिलीवरी अवधि (1 जुलाई 2008 से 30 जून 2009) में की जानी थी।

38. इन दो अतिरिक्त वितरण अवधियों के संबंध में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्यर्थी प्रत्येक वितरण अवधि (खंड 1.1.1) के दौरान 466,000 मीट्रिक टन कोकिंग कोयले की खरीद करेगा। 39. जिन मामलों पर विवाद है, वे पांचवीं डिलीवरी अवधि से उत्पन्न होते हैं। इसे 30 जून 2009 तक चलाया जाना था, लेकिन दोनों पक्षों के बीच समझौते के माध्यम से इसे बढ़ा दिया गया ताकि यह 30 जून को समाप्त हो जाए।

सितंबर 2009 जैसा कि दावेदार के पत्र में पुष्टि की गई है

प्रतिवादी दिनांक 14 अगस्त 2008। आपूर्ति किए जाने वाले कोकिंग कोयले दो प्रकार के थे (आइज़ैक कोकिंग कोल मिश्रण और डॉसन वैली मिश्रण) और पांचवीं डिलीवरी अवधि के लिए प्रत्येक के लिए सहमत मूल्य 300 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन था। उस कीमत पर समझौते के अनुसार पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी, और 20 नवंबर 2008 को दावेदार को उत्तरदाता के पत्र द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।

40. यह विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी ने केवल दो माल उठाए

पांचवीं डिलीवरी अवधि के दौरान 300 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के सहमत मूल्य पर। पहला 30 अक्टूबर 2008 को था और यह एक मात्रा थी।

2, 366 एम. टी. और दूसरा 5 अगस्त 2009 को, जब प्रतिवादी ने और 9,600 एम. टी. उठाया।

41. इनमें से पहला शिपमेंट 'फर्नेस हार्टलपूल' के माध्यम से था और यह एक बड़े शिपमेंट का हिस्सा था जिसके तहत चौथी डिलीवरी अवधि के तहत शेष मात्रा के संबंध में 48,655 मीट्रिक टन (अमेरिकी डॉलर 96.40 प्रति मीट्रिक टन की उस अवधि के लिए सहमत दर पर) उठाया गया था। इस डिलीवरी का पाँचवाँ डिलीवरी अवधि घटक 2,366 था। एम. टी. और इसका लेन-देन 300 अमेरिकी डॉलर प्रति एम. टी. के सहमत मूल्य पर किया गया था।

42. इनमें से दूसरा शिपमेंट एक तदर्थ समझौता था। 15 जुलाई 2009 को एक बैठक में किया गया और 22 जुलाई 2009 को प्रतिवादी द्वारा लिखित रूप में पुष्टि की गई। वह तदर्थ समझौता ("सी वीनस समझौता") 50,000 मीट्रिक टन कोयले के लिए था जिसके तहत 9,600 मीट्रिक टन को 300 अमेरिकी डॉलर [2020] 14 एस. सी. आर. के संविदात्मक मूल्य पर खरीदा जाना था।

प्रति एम. टी., लेकिन शेष 40,400 एम. टी. को यू. एस. $128.25 प्रति एम. टी. के तदर्थ मूल्य पर बेचा जाना था।

43. इन दो डिलीवरी के बाद भी अनुबंधित मात्रा के मुकाबले डिलीवरी में काफी कमी आई थी।

पाँचवीं डिलीवरी अवधि के लिए। पांचवीं डिलीवरी अवधि के संबंध में वास्तव में उठाई गई कुल मात्रा 4,66,000 मीट्रिक टन की अनुबंधित मात्रा की तुलना में 11,966 मीट्रिक टन (2,366 + 9,600 मीट्रिक टन) थी। तदनुसार, एमएमटीसी द्वारा नहीं उठाई गई मात्रा 454,034 एमटी है।

44. यह राशि जो नहीं उठाई गई है, वह दावेदार के दावे को रेखांकित करती है, जो अनुबंधित राशि को नहीं उठाने में प्रतिवादी की ओर से कथित उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले नुकसान के लिए है। दावेदार द्वारा दावा किया गया नुकसान बाजार मूल्य और अनुबंध मूल्य के बीच का अंतर है।

45. अपनी ओर से प्रत्यर्थी अनुबंधित राशि नहीं उठाने में अपनी ओर से किसी भी उल्लंघन से इनकार करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, प्रत्यर्थी के अनुसार, दावेदार के पास वास्तव में प्रत्यर्थी को डिलीवरी के लिए सामान उपलब्ध नहीं था। प्रत्यर्थी का तर्क है कि दावेदार के विपणन प्रबंधक ने व्यक्त किया

पाँचवीं वितरण अवधि के तहत माल की आपूर्ति करने में असमर्थता, और प्रतिवादी का कहना है कि यह समझौते के तहत कोयले की आपूर्ति करने के दायित्व को पूरा करने के लिए एक सरल इनकार था। तदनुसार, प्रत्यर्थी का तर्क है कि यह दावेदार था जो समझौते का उल्लंघन कर रहा था।

46. संदर्भ की शर्तों में परिभाषित किए गए और इनके पूरक के रूप में जो विस्तृत मुद्दे उत्पन्न होते हैं, वे इस प्रकार हैं:

उ. क्या प्रत्यर्थी ने समझौते के संदर्भ में 454,034 मीट्रिक टन कोकिंग कोयले को नहीं उठाने में अनुबंध का उल्लंघन किया है और यदि ऐसा है, तो इसके परिणाम क्या हैं? यदि हाँ, तो तारीख क्या है?

इस तरह का उल्लंघन?

बी. क्या दावेदार पांचवीं डिलीवरी के दौरान प्रतिवादी को माल की आपूर्ति करने में विफल रहने में अनुबंध का उल्लंघन कर रहा था।

इस मुद्दे पर विचार करने में, और जहाँ तक प्रासंगिक है, दावेदार अपने दायित्वों को पूरा करने की स्थिति में था अनुबंध के तहत शर्तों के अनुसार समय पर आवश्यक मात्रा उपलब्ध कराना?

एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

ग. क्या दावेदार के दावे सीमितता से वर्जित हैं?

क्या किसी पक्ष की ओर से अनुबंध के तहत दिए गए दायित्वों को समय पर पूरा करने में विफलता थी,

या बिल्कुल और यदि ऐसा है, तो इसका प्रभाव।

D. क्या दावेदार किसी नुकसान का हकदार है और यदि है तो

किस राशि के लिए?

ई. क्या दावेदार दिए जाने वाले किसी भी नुकसान पर ब्याज का हकदार है और यदि है, तो किस दर से और किस अवधि के लिए? च. क्या दावेदार अल्पावधि के लिए ब्याज का हकदार है

और पोस्ट पेंडेंट लाइट, और यदि ऐसा है तो किस दर पर।

G. मध्यस्थता की लागत, और लागत पर ब्याज, यदि कोई हो,

सम्मानित किया गया "।

5 बी। शीर्षक के तहत, "एम. पत्राचार के बारे में

इरीज़ ", बहुमत पुरस्कार विभिन्न ईमेल और पत्रों को संदर्भित करता है

पक्षकारों के बीच मतभेद निम्नानुसार हैं:

" एम. डिलीवरी के संबंध में पत्राचार 56. 2009 के मध्य में सीधे डिलीवरी से संबंधित पत्राचार में केवल कुछ दस्तावेज शामिल हैं। सबसे पहले, 11 मार्च 2009 को दावेदार ने प्रतिवादी को लिखा:

" हम 24 फरवरी को नई दिल्ली में हुई चर्चाओं का उल्लेख करते हैं।

2009 श्री सुरेश बाबू और हमारे श्री जॉन विल्कोक्स के बीच

आपका कार्यालय। एंग्लो बहुत चिंतित रहता है कि डिलीवरी

समझौते की पांचवीं वितरण अवधि के लिए शेष है

एम. एम. टी. सी. ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और आज तक एम. एम. टी. सी. ने ऐसा नहीं किया है।

दायित्वों के निष्पादन के लिए सूचित व्यवस्थाएँ

समझौते के तहत उत्पन्न।

तदनुसार, कृपया एम. एम. टी. सी. की प्रस्तावित डिलीवरी भेजें

पाँचवीं वितरण अवधि के लिए अनुसूची, जैसा कि में संदर्भित है

समझौते के अनुलग्नक IV का खंड 4, हमारे लिए

विचार करें। इन परिस्थितियों में, हम आपकी तलाश करते हैं

शुक्रवार 20 तारीख को ब्रिस्बेन समय के अनुसार व्यापार बंद होने पर प्रतिक्रिया मार्च 2009 "।

57. 2 जुलाई 2009 को प्रत्यर्थी ने दावेदार को लिखा,

अनुरोध करते हुए, प्रत्यर्थी प्रस्तुत करता है, दावेदार स्टेम को इंगित करता है

दो डिलीवरी के लिए उपलब्धता, अगस्त और सितंबर में एक-एक

2009. प्रतिवादी ने कहाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" ट्रांसचार्ट पहले ही की ओर से बाजार में प्रवेश कर चुका है

09 जुलाई स्टेम के खिलाफ पोत के लिए एम. एम. टी. सी.। भारी बैकलॉग को ध्यान में रखते हुए हम 9 अगस्त को दो और 9 सितंबर को एक स्टेम का लाभ उठाना चाहेंगे। कृपया उपलब्धता की पुष्टि करें और लेकन को बताएँ।

58. 3 जुलाई 2009 को दावेदार ने प्रत्यर्थी के श्री बाबू को पत्र लिखकर अनुरोध का जवाब देने के लिए समय मांगा। हालाँकि दावेदार की ओर से कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। 21 जुलाई 2009 को

उत्तरदाता ने फिर से तने की उपलब्धता की पुष्टि का अनुरोध कियाः

" हम अगस्त 2009 के लिए एंग्लो से मूल पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि हमने अपना इंडेंट अच्छी तरह से दिया है।

आगे बढ़ें। लेकन का लचीलापन आपके पास निहित है

पूरी तरह से। हम आपसे सुनने के लिए उत्सुक हैं।

59. 22 जुलाई 2009 को दावेदार ने जवाब देते हुए कहाः

“ दुर्भाग्य से, इस स्तर पर हम माल की उपलब्धता के कारण एमएमटीसी के लिए अगस्त/सितंबर में एक स्टेम की पुष्टि करने में असमर्थ हैं।

हम अपनी स्थिति की समीक्षा करना जारी रख रहे हैं और जल्द से जल्द अक्टूबर-दिसंबर 2009 के लिए अपने पसंदीदा कार्यक्रम की सलाह देंगे।

संभव है "

60. प्रत्यर्थी प्रस्तुत करता है कि इसका मतलब वही है जो यह शाब्दिक रूप से कहता है; दावेदार ने उपलब्धता की कमी के कारण अगस्त और सितंबर 2009 के लिए मूल उपलब्धता की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। तदनुसार, दावेदार पाँचवीं डिलीवरी अवधि के भीतर अनुबंधित सामग्री की आपूर्ति करने में विफल रहा।

61. 4 सितंबर 2009 को, प्रत्यर्थी ने दावेदार को लिखा कि

" हमारी कोकरी ने धक्का देने की क्षमता को बढ़ा दिया है, इसके परिणामस्वरूप कोकिंग कोयले की आवश्यकता 90,000 टन/माह तक बढ़ गई है। एंग्लो ने एमएमटीसी को कोई आधार नहीं दिया है। सीवेनस

[एस. आई. सी.] कृपया यू. एस. को प्रत्येक में 50,000 एम. टी. का एक तना दें

अक्टूबर और नवंबर 09 "।

62. एक बार फिर दावेदार (श्री विल्कोक्स के माध्यम से) ने वर्ष 2009 के शेष समय के लिए कोयले की अनुपलब्धता के कारण पांचवीं वितरण अवधि के तहत कोयले की आपूर्ति करने में असमर्थ होने की बात व्यक्त की।

7 सितंबर, 2009 का मेल)। श्री विल्कोक्स ने कहाः

एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" प्रिय सुरेश,

..... दुर्भाग्य से इस स्तर पर हमारे पास कोई कोयला नहीं है

शेष वर्ष के लिए उपलब्धता।

हम स्थिति की निगरानी करना जारी रखेंगे और आपको सूचित करेंगे।

यदि स्थिति बदल जाती है।

63. 21 सितंबर 2009 को दावेदार ने इस प्रकार लिखाः

" हम 11 मार्च 2009 के अपने पत्र का उल्लेख करते हैं जिस पर हमारे पास है

अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। समझौते की पांचवीं वितरण अवधि अब समाप्त हो गई है।

समझौते की शर्तों को समाप्त करना। हालांकि, आज तक, एम. एम. टी. सी. ने पांचवीं डिलीवरी अवधि के लिए कुल अनुबंधित टन भार 4,66,000 टन में से केवल 11,966 टन कोयले की डिलीवरी ली है।

हमारे बार-बार अनुरोध के बावजूद एम. एम. टी. सी. ने प्रदान नहीं किया है

पाँचवीं डिलीवरी अवधि से शेष 454,034 टन कोयले की डिलीवरी लेने के लिए एक अनुसूची के साथ एंग्लो (' कैरीओवर '), यह कहने के अलावा कि यह एंग्लो और सेल के बीच की गई समान व्यवस्थाओं के लिए सहमत होगा और

आर. आई. एन. एल. 2008 कैरीओवर टन की डिलीवरी के संबंध में।

64. पत्र के लेखक (श्री इलियट, महाप्रबंधक, दावेदार के विपणन और परिवहन) ने तब उन शर्तों को निर्धारित किया जिन पर सेल/आर. आई. एन. एल. के साथ सहमति हुई थी और एक निर्धारित किया था

"कैरीओवर" मात्रा की डिलीवरी और प्रत्यर्थी के साथ समझौते के नवीनीकरण का प्रस्ताव।

65. 25 सितंबर 2009 को प्रतिवादी (श्री बाबू) ने उस पत्र का जवाब दिया। जवाब में कहा गया कि प्रस्ताव "असंभव के करीब" था क्योंकि इसमें परिकल्पना की गई थी कि प्रतिवादी मार्च 2010 के अंत तक कैरीओवर मात्रा की बहुत बड़ी मात्रा उठाएगा। तब पत्र में कहा गया थाः

" इस संबंध में, यह सराहना की जा सकती है कि आर. आई. एन. एल. मूल रूप से एल. ए. एम. कोक और पिग आयरन का निर्माता है। मूल्यवर्धन कभी-कभी नगण्य या नकारात्मक होता है। उद्योग को अभी मंदी के सदमे से बाहर आना बाकी है। आई. डी. 1.....। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास [2020] 14 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमारे दिनांकित 20.11.2008 पत्र के माध्यम से कीमत में कमी के लिए एंग्लो कोल से संपर्क किया। एक और 38 प्रतिशत उठाने का मतलब है कि एक और यू. एस. डी. 80/1 के नुकसान में और वृद्धि। बातचीत के लिए, हम आशा करते हैं कि आप आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं करेंगे

पूरी तरह से वास्तविकता यह है कि एन. एन. एल. की स्टील मेल्टिंग शॉप पर काम चल रहा है और इसे किसी समय चालू होने की उम्मीद है।

2010 के अंत में। अर्थव्यवस्था भी मंदी से बाहर आएगी।

धीरे-धीरे। संक्षेप में हम अपने दायित्व से इनकार नहीं कर रहे हैं। निवेदन यह है कि

केवल उठाने के लिए समय सीमा को चौंका देने के लिए जैसा कि पैरा में समझाया गया है। 1 & 2 ऊपर। कृपया 2009 के अंत तक शून्य स्टेम के बजाय 09 अक्टूबर से 50,000 मीट्रिक टन की कम से कम एक खेप आवंटित करने के हमारे अनुरोध की समीक्षा करें और उस पर पुनर्विचार करें। "

5 सी। दावेदार के मामले और दावेदार के मामले का सारांश निर्धारित करने के बाद, उप-शीर्षक, "कोयले की उपलब्धता" के तहत, रिटी पुरस्कार ने अपीलार्थी की ओर से श्री जॉन बी. विल्कोक्स, मार्केटिंग एजर के साक्ष्य को स्वीकार किया, जिसे दिनांकित 20.11.2008 वाले दावेदार के पत्र के साथ पढ़ा गया, जो इस प्रकार है:

" कोयले की उपलब्धता 118. विचार किए जाने वाला पहला तत्व प्रत्यर्थी की ओर से दिया गया दावा है कि दावेदार के पास वितरित करने के लिए अनुबंधित सामान नहीं था। यह पूरी तरह से दो ई पर निर्भर करता है।

डाक, एक दिनांक 22 जुलाई 2009 और दूसरा दिनांक 7 सितंबर, 2009। इनमें से पहले ने कहा कि दावेदार असमर्थ था

अगस्त/सितंबर में स्टेम की पुष्टि करें "कार्गो के कारण

उपलब्धता "और अक्टूबर दिसंबर 2009 के संबंध में स्थिति की समीक्षा कर रहा था। दूसरे में दावेदार ने कहा कि "दुर्भाग्य से इस स्तर पर हमारे पास कोयले की कोई उपलब्धता नहीं है।

शेष वर्ष "।

119. दावेदार का मामला, जिसे हम स्वीकार करते हैं, यह है कि संबंधित समय पर आपूर्ति की कोई कमी नहीं थी। ई-मेल होना चाहिए

संदर्भ में पढ़ें, और जैसा कि हम नीचे बताते हैं, संदर्भ यह है कि प्रतिवादी नीचे कोयले की आगे की डिलीवरी की मांग कर रहा था

अनुबंध मूल्य।

120. श्री विल्कोक्स ने अपने अतिरिक्त हलफनामे में न्यायाधिकरण को सूचित किया कि दावेदार कोयले का व्यापारी नहीं था, बल्कि एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड में कोयला खदानों का मालिक था।

वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

ऑस्ट्रेलिया और सुचारू शिपमेंट सुनिश्चित करने के लिए एक रेलवे प्रणाली थी। उन्होंने कहा कि प्रासंगिक समय में बाजार वैश्विक वित्तीय संकट से प्रभावित था, जिसके कारण इस्पात की मांग में गिरावट आई और इसके परिणामस्वरूप, प्रासंगिक प्रकार के कोकिंग कोयले की मांग में गिरावट आई। उन्होंने कहा कि संबंधित समय में, दावेदार के पास बड़ी मात्रा में अधिशेष उत्पादन था, जिसमें से कुछ को पांचवीं डिलीवरी अवधि के दौरान "संकट बिक्री" के माध्यम से बेच दिया गया था।

121. श्री विल्कोक्स को जुलाई 2009 और 21 सितंबर 2009 के बीच प्रत्यर्थी को आपूर्ति करने के लिए माल की उपलब्धता के बारे में प्रतिपरीक्षा (क्यू40) में चुनौती दी गई थी। उन्होंने इस बात से असहमति जताई कि दावेदार के पास कोई आपूर्ति नहीं थी, यह कहते हुए कि दावेदार इस अवधि के दौरान प्रति माह लगभग 1,000,000 टन का उत्पादन कर रहा था। उन्होंने कहा कि दावेदार के लिए कोयले का उत्पादन करना बहुत आसान होता।

इसके बाद (क्यू43-क्यू45) उन्हें कथित संकट बिक्री के बारे में चुनौती दी गई। उन्होंने पुष्टि की कि इस तरह की संकटग्रस्त बिक्री की गई थी। उनके हलफनामे ने संकेत दिया कि इस तरह की बिक्री लगभग 712,000 एम. टी., और यह कि ये बिक्री यू. एस. $83 और यू. एस. $113 प्रति एम. टी. के बीच की गई थी, जो सहमत कीमत से बहुत कम थी

उत्तरदाता।

122. न्यायाधिकरण श्री विल्कोक्स के साक्ष्य को स्वीकार करता है। यह 20 नवंबर 2008 के उत्तरदाता के अपने पत्र के साथ पूरी तरह से सुसंगत है जिसमें लिखा हैः

सितंबर और सितंबर के महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लोहा और इस्पात उत्पादों की कीमतों में गिरावट आई है। अक्टूबर 2008 और पिग आयरन.. को 300 अमेरिकी डॉलर एफ. ओ. बी. पर भी आज तक ग्राहक नहीं मिल रहा है। घरेलू बाजार में भी यही स्थिति है और हम अपना उत्पाद नहीं बेच पा रहे हैं।

इन परिस्थितियों में, आप समझेंगे कि आयातित कोकिंग कोयले के आधार पर पिग आयरन का उत्पादन और बिक्री करना पूरी तरह से अविश्वसनीय हो गया है, जिसकी कीमत 300 अमेरिकी डॉलर प्रति कोयला है।

कठोर कोकिंग कोयले के लिए टन एफओबी। सारगर्भित

अमेरिकी डॉलर में भारतीय रुपये का अवमूल्यन हमारी परेशानियों को और बढ़ा देता है। अभूतपूर्व [2020] 14 एस. सी. आर. को देखते हुए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अर्थव्यवस्था में मंदी के रुझान और इसके परिणामस्वरूप

पिग आयरन पर असामान्य कम प्राप्ति, हम कीमत का अनुरोध करते हैं वितरण के लिए अंतिम रूप दी गई मात्रा के लिए कोयले में कमी

1 जुलाई, 2008 से 30 जून, 2009 की अवधि के दौरान उस स्तर तक जो 1 जुलाई, 2007 से 30 जुलाई की अवधि के लिए तय किया गया था।

जून 2008 "।

123. हमें ऐसा लगता है कि सबूत सभी एक तरह से हैं, इस प्रभाव के लिए कि 2008 के अंतिम कुछ महीनों के दौरान और कम से कम 2009 की पहली छमाही में कोकिंग कोयले की मांग में काफी कमी आई थी, और हमें ऐसा लगता है कि यह आपूर्ति के लिए कोकिंग कोयले की उपलब्धता के बारे में श्री विल्कोक्स के साक्ष्य की दृढ़ता से पुष्टि करता है। उत्तरदाता को।

124. तदनुसार हम प्रत्यर्थी के इस दावे को अस्वीकार करते हैं कि

दावेदार के पास आपूर्ति करने के लिए अनुबंध माल नहीं था। न्यायाधिकरण

एक और अवलोकन करता है: पाँचवीं डिलीवरी अवधि की कीमत

15 सितंबर 2008 को लेहमैन ब्रदर्स के पतन के समय शुरू हुए वैश्विक वित्तीय संकट के ठीक दो महीने बाद इस पर सहमति बनी थी। उस अवधि के लिए पक्षों द्वारा सहमत मूल्य पिछली किसी भी अवधि के मूल्य से काफी अधिक था। यह अपने आप में असाधारण है, लेकिन इससे भी अधिक असाधारण बात यह है कि उत्तरदाता का मूल्य के लिए अनुरोध कटौती उसी दिन की गई थी जिस दिन पाँचवाँ

वितरण अवधि मूल्य पर सहमति हो गई थी।

5 डी। उप-शीर्षक के तहत, "स्टेम देने में विफलता?" , बहुमत पुरस्कार इस प्रकार था:

" स्टेम देने में विफलता?

XXX XXX XXX

133. तदनुसार हम यह स्वीकार नहीं करते हैं कि समझौते में दावेदार को उत्तरदाता की ओर से किसी भी दायित्व के संदर्भ के बिना पूरी तरह से पहल करने और प्रस्ताव देने की आवश्यकता है। समग्र रूप से देखने पर, हमारे लिए यह स्पष्ट है कि समझौते की परिकल्पना की गई थी और पार्टियों को आपूर्ति और वितरण में समन्वय करने की आवश्यकता थी। इसके लिए प्राथमिक दस्तावेज़ का उद्देश्य डिलीवरी अनुसूची होना था। स्टेम की उपलब्धता और जहाजों के नामांकन के संकेत डिलीवरी अनुसूची के कार्यान्वयन में उठाए जाने वाले कदम थे, न कि इसके लिए प्रारंभिक। इससे हमें ऐसा लगता है कि कोई अनुबंध नहीं है।

जिसके आधार पर प्रत्यर्थी यह तर्क दे सकता है कि दावेदार एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड।

वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

प्रतिवादी को स्टेम देने में विफल रहने में उल्लंघन किया गया था। एक सहमत वितरण अनुसूची के अभाव में ऐसा करने की कोई बाध्यता नहीं थी। 5 ई. उप-शीर्षक, "आपूर्ति का प्रस्ताव" के तहत, अपीलार्थी का

दिनांक 11.03.2009 निर्धारित किया गया था जिसमें अपीलकर्ता ने मांग की थी कि ई. प्रतिवादी विचाराधीन कोयले के लिए एक वितरण अनुसूची का प्रस्ताव करें। उत्तरदाता ने इस पत्र की प्राप्ति से इनकार कर दिया। हालांकि, बहुमत

डी निम्नलिखित रूप में पाया गयाः

" आपूर्ति का प्रस्ताव

XXX XXX XXX

139. श्री बाबू बैठक के अस्तित्व का खंडन नहीं करते हैं

अप्रैल। न ही वह इस बात से इनकार करता है कि उसे दूसरा ई-मेल मिला है।

12 मार्च को प्रसारण। उन्होंने अपने साक्ष्य में केवल इतना कहा कि उन्हें उस ई-मेल के संलग्नकों से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह इस बात का सबूत नहीं है कि पत्र

प्राप्त नहीं हुआ। 140. इसके अलावा, दावेदार ने 21 सितंबर 2009 (Vol.2, पृष्ठ 21) को भेजे गए एक पत्र में 11 मार्च के अपने पत्र का उल्लेख किया, जो इस वाक्य के साथ शुरू हुआ "हम 11 मार्च 2009 के अपने पत्र का उल्लेख करते हैं, जिसका हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।" . दावेदार को श्री बाबू की ओर से भेजे गए 21 सितंबर के पत्र (Vol.2, पृष्ठ 23) का जवाब मिला, लेकिन उस जवाब में 11 सितंबर के पत्र के संदर्भ में कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया गया।

141. संक्षेप में, इसलिए समकालीन पत्राचार में दावेदार के इस दावे का समर्थन करने के लिए बहुत कुछ है कि यह पत्र भेजा गया था, और उस दावे का खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं। जहाँ तक गवाह की बात है

साक्ष्य संबंधित है, कम से कम इसलिए नहीं कि इसकी दस्तावेजों द्वारा पुष्टि की गई है, न्यायाधिकरण श्री विल्कोक्स के साक्ष्य को पसंद करता है और स्वीकार करता है कि दावेदार द्वारा कोयले की आपूर्ति की पेशकश की गई थी प्रत्यर्थी, 11 मार्च 2009 के पत्र सहित।

5 एफ. आगे उप-शीर्षक के तहत, "उत्तरदाता क्या था?

एनजी जून/जुलाई 2009 में अपने ईमेल में? , बहुमत पुरस्कार कम पाया गयाः

" जून/जुलाई 2009 में उत्तरदाता अपने ईमेल में क्या मांग रहा था?

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

142. न्यायाधिकरण को ऐसा प्रतीत होता है कि इसके लिए मंच निर्धारित किया गया था

पांचवीं डिलीवरी अवधि के संबंध में दोनों पक्षों के बीच लेनदेन उस समय जब वे उस डिलीवरी अवधि के लिए दरों पर सहमत हुए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऐसा कोई विवाद प्रतीत नहीं होता है जो समकालीन रूप से दरों के समझौते के साथ

पाँचवीं वितरण अवधि में कोयले की बाजार कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई और प्रत्यर्थी तुरंत दावेदार के पास वापस आकर पूछने लगा

डिलीवरी के लिए सहमत दर पर कुछ पुनर्विचार के लिए।

शिपमेंट 10 और 20 जुलाई 2009 के बीच डिलीवरी के लिए तदर्थ सी वीनस समझौता था (वॉल्यूम। 2 , पृष्ठ 9-12)। 144. तदर्थ सी वीनस समझौता 50,000 मीट्रिक टन कोयले के लिए था, जिसके तहत 9,600 मीट्रिक टन या उसके आसपास का लेन-देन 300 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की कीमत पर किया गया था, जिसमें शेष 40,400 मीट्रिक टन प्रति मीट्रिक टन अमेरिकी डॉलर 128.25 की तदर्थ कीमत पर बेचा गया था। कहा जाता है कि यह एक "सद्भावना संकेत" था (Vol.2, पृष्ठ 9)।

145. पांचवीं डिलीवरी अवधि के दौरान बाजार मूल्य कम रहा (उदाहरण के लिए दावेदार द्वारा किया गया समझौता देखें)। 15 जुलाई 2009 को सेल/आर. आई. एन. एल. के साथ (Vol.2, पृष्ठ 13-20) सहमत हैं

अमेरिकी डॉलर 129.00 प्रति एम. टी.) से नीचे की दरें और व्यावसायिक रूप से देखे जाने पर प्रतिवादी के लिए सहमत दरों पर दावेदार से खरीद जारी रखने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन था।

146. पत्राचार के बारे में न्यायाधिकरण का विचार है कि प्रतिवादी ने मामलों को समान रूप से देखा, और समुद्र में प्राप्त कम दर पर कोयले की और मात्रा खरीदने की मांग कर रहा था

वीनस समझौता। 2 जुलाई 2009 के ई-मेल में श्री बाबू ने प्रत्यर्थी द्वारा एक जहाज के चार्टर को आगे बढ़ाने का उल्लेख किया। सी वीनस समझौते के लिए, और अगस्त और एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड के लिए 2 और स्टेम की उपलब्धता के बारे में स्पष्ट अंतर के बिना पूछा।

वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पक्षों को, और श्री विल्कोक्स द्वारा दिए गए साक्ष्य की पृष्ठभूमि के खिलाफ इस प्रभाव के लिए देखा गया कि कीमतों में गिरावट आई थी और दावेदार चीन में कोयले को "फेंक" रहा था, इस ई-मेल की एकमात्र संभावित समझ यह है कि दावेदार अनुबंध दर से कम पर और कोयले की आपूर्ति करने से इनकार कर रहा था जैसा कि तदर्थ सी वीनस समझौते में किया गया था।

148. 4 सितंबर 2009 को प्रत्यर्थी ने फिर से लिखा कि

स्टेम (अनुबंध अवधि से परे डिलीवरी के लिए), यह देखते हुए कि सी वीनस समझौते के बाद से कोई डिलीवरी नहीं हुई थी। एक बार फिर उत्तरदाता द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया यह थी कि उपलब्धता की कमी थी।

दलों के बीच समकालीन चर्चाओं पर थे इस आधार पर कि प्रत्यर्थी और रियायती आपूर्ति की मांग कर रहा था, और वास्तव में उसकी समझ यह थी कि प्रत्यर्थी था

अन्य आपूर्तिकर्ताओं से उन दरों से कम पर खरीदारी करना जिन पर वे पांचवीं डिलीवरी अवधि के तहत बाध्य थे।

150. 25 सितंबर 2009 का प्रत्यर्थी का पत्र केवल प्रत्यर्थी द्वारा जुलाई/अगस्त की अवधि में रियायती मूल्य की आपूर्ति की मांग के अनुरूप है। पत्र में बताया गया है कि उत्तरदाता को खरीद से होने वाले नुकसान में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा

"कैरी ओवर मात्रा" का अनुपात, जो पांचवीं डिलीवरी अवधि के तहत मात्रा का अधूरा हिस्सा है। द.

प्रत्यर्थी ने दावेदार द्वारा सेल/आर. आई. एन. एल. के साथ किए गए एक समझौते के अनुरूप, केवल [2020] 14 एस. सी. आर. की 18.7% खरीदने का प्रस्ताव दिया था।

मात्रा से अधिक, और पत्राचार में, दावेदार की ओर से दिए गए सुझाव को अस्वीकार कर रहा था कि 56.7% 31 मार्च, 2010 तक राशि उठानी होगी। उत्तरदाता द्वारा इसे "असंभव के करीब" के रूप में वर्णित किया गया था, और उत्तरदाता ने पूछा

दावेदार आर्थिक वास्तविकताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज न करे।

151. इस प्रकार, उत्तरदाता द्वारा लिखा गया पहला प्रासंगिक पत्र

20 नवंबर 2008 को पांचवीं डिलीवरी अवधि [सी-5] ने एक मांग की

पाँचवें के तहत वितरित किए जाने वाले कोयले की कीमत में कमी

दावेदार ने आपूर्ति का एक और प्रस्ताव दिया (25 नवंबर 2009 को) जिसे प्रतिवादी केवल एक कीमत पर स्वीकार करने के लिए तैयार था। संविदात्मक दर से घटाया गया (उत्तरदाता का 27 वां पत्र)

200 नवंबर [9])। उत्तरदाता के तर्क अब हैं

इस बात पर भविष्यवाणी की गई कि वर्ष के दौरान रुख में एक अस्थायी परिवर्तन हुआ है, जैसे कि जून और जुलाई 2009 में यह अनुबंध दर पर कोयले की आपूर्ति का लाभ उठाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। संदर्भ में देखा जाए तो जिस पत्राचार पर भरोसा किया गया है, वह उस तर्क का समर्थन करना शुरू नहीं करता है और न्यायाधिकरण इसे खारिज कर देता है। प्रत्यर्थी अनुबंध दर से कम पर कोयले की मांग कर रहा था और

दावेदार उन शर्तों पर आपूर्ति करने से इनकार कर रहा था। द.

प्रत्यर्थी उठाने के लिए अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में विफल रहा

अनुबंध दर पर कोयले की मात्रा का अनुबंध किया गया।

5 जी। उप-शीर्षक, "सीमा" के तहत, बहुमत पुरस्कार आयोजित किया गयाः " 155. यह इस प्रकार है कि दावेदार का मध्यस्थता का नोटिस, जो 24 सितंबर 2012 को जारी किया गया था और उसी दिन सचिवालय द्वारा प्राप्त किया गया था, जारी किया गया था और इसके भीतर मध्यस्थता शुरू हुई थी।

तीन साल की सीमा अवधि।

5 एच. उप-शीर्षक के तहत, "नुकसान का प्रमाण?" , बहुमत

डी पाया गयाः

" नुकसान का सबूत?

श्री विल्कोक्स का अतिरिक्त शपथ पत्र (जिसमें कीमतों का विवरण दिया गया है) जिसके दौरान दावेदार चीनी पक्षों को कोयला बेच रहा था

पाँचवीं डिलीवरी अवधि), लेकिन समकालीन एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड में भी।

वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

विवाद का विषय) कि बाजार दर और अनुबंधित दर के बीच का अंतर नुकसान के सही माप का प्रतिनिधित्व करता है। यही वह आधार है जिसके आधार पर दावेदार का दावा है उसके दावे के दस्तावेजों में मूल्यांकन किया गया। तदनुसार न्यायाधिकरण अपने नुकसान की मात्रा के बारे में दावेदार के साक्ष्य को स्वीकार करता है।

5 आई. अंत में, इसलिए, एक उपयोगी सारांश में, बहुमत पुरस्कार

" सारांश

180. साक्ष्यों को पढ़ने और उन पर विचार करने के बाद और

पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ और ऊपर दिए गए कारणों के लिए न्यायाधिकरण सर्वसम्मति से पाता है और मानता है, सिवाय जहां संकेत दिया गया है, निम्नानुसार हैः

(क) प्रतिवादी ने पांचवीं डिलीवरी के भीतर 454,034 मीट्रिक टन कोकिंग कोयले को नहीं उठाकर अनुबंध का उल्लंघन किया। अवधि, जो 30 सितंबर 2009 को समाप्त हो गई।

(ख) दावेदार पाँचवीं डिलीवरी अवधि के दौरान प्रत्यर्थी को माल की आपूर्ति करने में विफल रहने में अनुबंध का उल्लंघन नहीं कर रहा था।

(ग) दावेदार, हर भौतिक समय पर समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने की स्थिति में था, जिसके अनुसार समय पर आवश्यक मात्रा की आपूर्ति की गई थी।

समझौता।

(घ) दावेदार के दावे पर कोई सीमा नहीं है।

5 जे. इसलिए, अपीलार्थी के पक्ष में पुरस्कार इस प्रकार थाः

" सकारात्मक खंड

181. उपरोक्त कारणों से न्यायाधिकरण आदेश और निर्देश देता है किः

(1) बहुमत से, दावेदार 78,720 अमेरिकी डॉलर की राशि में प्रतिवादी से हर्जाने का हकदार है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2) न्यायाधिकरण बहुमत से निष्कर्ष निकालता है कि दावेदार है

इस पुरस्कार की तारीख तक ब्याज के संबंध में 27,239 अमेरिकी डॉलर की राशि में और मूल राशि पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से इस तरह के नुकसान पर साधारण ब्याज का हकदार है।

भुगतान तक इस पुरस्कार की तिथि।

(4) दावेदार को देय होने के रूप में ऊपर निर्धारित राशि इस पुरस्कार की तारीख तक देय है और उत्तरदाता द्वारा भुगतान किया जाना है। (5) यह निर्णय पक्षकारों के बीच विवाद के मामलों के बारे में अंतिम है और हमारे समक्ष मध्यस्थता के लिए संदर्भित है। अन्य सभी अनुरोध

और पक्षों द्वारा किए गए दावों को खारिज कर दिया जाता है।

7. न्यायमूर्ति वी. के. गुप्ता (सेवानिवृत्त) ने अपने असहमति पुरस्कार में कहाः

वीएसः

" 4. विश्लेषण

XXX XXX XXX

(के) परिस्थितियों की समग्रता में और संविदात्मक प्रावधानों और दावेदार के नेतृत्व में आचरण और साक्ष्य की सराहना करने के बाद मुझे 11 मार्च 2009 के पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी से वितरण अनुसूची के लिए एक अनुरोध के अलावा पता चलता है

रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि दावेदार के पास आपूर्ति के लिए अनुबंधित सामग्री तैयार थी। यहां तक कि श्री जॉन विल्कॉक्स के अतिरिक्त साक्ष्य के साथ दावेदार द्वारा तीसरे पक्ष को आपूर्ति दिखाने वाला चार्ट भी इंगित करता है कि दावेदार के पास उपलब्ध सामग्री की पूरी मात्रा की आपूर्ति पहले ही अन्य सभी खरीदारों को कर दी गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि दावेदार के पास अनुबंध के तहत आपूर्ति करने के लिए कम से कम जुलाई से सितंबर 2009 के बीच की अवधि के लिए सामग्री नहीं थी, जो अनुबंध किया गया था। अवधि।

(1) यह समझ से परे है कि एक पक्ष जो इतनी बड़ी मात्रा में कोयले के साथ तैयार था, वह उत्तरदाता को अनुवर्ती संचार नहीं भेजेगा जिसमें उनसे अनुबंधित माल को उठाने का आग्रह किया जाएगा यदि ऐसा माल लोड पोर्ट पर तैयार था। एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके संदर्भ में दावेदार यह दिखा सके कि उसने प्रतिवादी को लिखा था कि इतनी मात्रा में सामग्री एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड है।

वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

लोड पोर्ट पर बैठा था और एमएमटीसी नामित करने में विफल रहा है जहाज़ को। 11 मार्च 2009 के पत्र के बाद दावेदार द्वारा उत्तरदाता को संबोधित कोई अन्य संचार नहीं है जिसमें उत्तरदाता से वितरण अनुसूची प्रदान करने का अनुरोध किया गया हो। उस पर

इसके विपरीत अपने ईमेल में उन्होंने डिलीवरी अवधि के भीतर किसी भी माल की आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त की। ऐसा प्रतीत होता है कि जुलाई और सितंबर 2009 के बीच कोकिंग कोयले की कमी के कारण कई खरीदार थे और कोयले में अचानक वृद्धि हुई थी।

कोयले की मांग और जुलाई और सितंबर 2009 के महीने के दौरान और यह कि दावेदार ने आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध किया था और

तीसरे पक्ष को अनुबंधित मात्रा की आपूर्ति की।

(एम) मेरे विचार में दावेदार के पास अनुबंधित सामग्री नहीं थी या उसने अनुबंधित सामग्री को किसी तीसरे पक्ष को भेज दिया और इसलिए अनुबंध के तहत अनुबंधित सामग्री उपलब्ध कराने में असमर्थ था। इसलिए दावेदार आपूर्ति करने में असमर्थ था

अनुबंधित सामग्री और स्वयं ही उल्लंघन में थी।

(एन) दावेदार स्वयं उल्लंघन में होने के कारण किसी भी दावे का हकदार नहीं है।

नुकसान "।

असहमति पुरस्कार में यह भी पाया गया कि अपीलकर्ता एल. टी. ए. की प्रत्येक तिथि पर नुकसान की मात्रा साबित करने के अपने बोझ को उठाने में विफल रहा था।8. विद्वान एकल न्यायाधीश, दिनांक 10.07.2015 के एक निर्णय द्वारा, प्रासंगिक तथ्यों को निर्धारित करते हुए, प्रतिवादी की याचिका को खारिज कर दिया

यह और फिर मिलाः

" 45. बहुमत पुरस्कार ने निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में एंग्लो द्वारा अनुबंध का कोई खंडन नहीं किया गया था और किसी भी स्थिति में एमएमटीसी द्वारा इस तरह के खंडन की कोई स्वीकृति नहीं थी। न्यायालय को यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या ऐसा निष्कर्ष विकृत है या स्पष्ट रूप से अवैध है

जैसा कि एमएमटीसी द्वारा तर्क दिया गया है। पहली बात तो यह प्रतीत होती है कि एम. एम. टी. सी. का मामला पहले ऐसा नहीं था कि 21 सितंबर, 2009 के पत्र में एंग्लो द्वारा अनुबंध का खंडन किया गया था। 25 सितंबर, 2009 के अपने जवाब में, एम. एम. टी. सी. ने यह नहीं बताया कि एंग्लो ने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया था। इसने 21 सितंबर, 2009 के उक्त पत्र को अनुबंध की मात्रा को उठाना शुरू करने के लिए एंग्लो के अनुरोध के रूप में देखा। यह बताता है कि क्यों एम. एम. टी. सी. ने उक्त उत्तर में 31 मार्च, 2010 तक एम. टी. उठाने में असमर्थता व्यक्त की क्योंकि यह [2020] 14 एस. सी. आर. के [आई. डी. 2] के लिए लगभग असंभव लग रहा था।

कैरीओवर टनभार "। इसने कीमतों में कमी की उम्मीद की कि

एंग्लो ने "आर्थिक वास्तविकताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया"। एम. एम. टी. सी. ने कहा कि "संक्षेप में, हम अपने दायित्व से इनकार नहीं कर रहे हैं।

अनुरोध केवल उठाने के लिए समय सीमा को अस्थिर करने के लिए है। "3 दिसंबर, 2009 के अपने पत्र में एम. एम. टी. सी. ने इस मामले में एंग्लो की मदद मांगी" ताकि हम किसी भी तरह से संयंत्र को चलाने में सक्षम हो सकें।

महंगे कोयले का मिश्रण है जिसे उठाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं नए अनुबंध मूल्यों पर कोयले की तुलना में। 21 सितंबर, 2009 का पत्र जब समग्र रूप से पढ़ा जाता है और उपरोक्त पत्राचार के संदर्भ में यह दर्शाता है कि बहुमत पुरस्कार ने क्या सही समझा है, अर्थात। , यह कि एंग्लो, अनुबंध को अस्वीकार करने या इसे समाप्त करने के लिए, एमएमटीसी को बाद की अवधि में कैरी ओवर मात्रा को उठाने के अपने दायित्व को फैलाने का एक तरीका प्रदान कर रहा था।

मध्यस्थों में से एक, श्री पीटर लीवर के खिलाफ लगाए गए पक्षपात की याचिका को भी खारिज कर दिया गया था। यह प्रचुर संदर्भों के बाद पाया गया था।

मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों के लिए, कि बहुमत पुरस्कार का दृष्टिकोण, प्रत्यर्थी के उल्लंघन में होने और अपीलार्थी के नुकसान की मात्रा साबित होने पर एक संभावित दृष्टिकोण होने के नाते, कि इसके तहत कोई आधार नहीं है बहुमत पुरस्कार में हस्तक्षेप करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 बनाई गई थी।

9. तथ्यों को निर्धारित करने के बाद, डिवीजन बेंच का विवादित निर्णय 02.03.2020, बहुमत पुरस्कार और एकल न्यायाधीश का

निष्कर्ष, पक्षों के बीच तीन ईमेल की सराहना पर आधारित है, जिन्हें पूरे पत्राचार से चुना गया था, अर्थात्, 02.07.2009,22.07.2009 और 07.09.2009 दिनांकित ईमेल। डिवीजन बेंच ने इन्हें "महत्वपूर्ण ईमेल" के रूप में संदर्भित किया, जिसमें पाया गयाः

" 25. यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इन तीन महत्वपूर्ण ई-मेलों में, जिन पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ-साथ एकल न्यायाधीश का निर्णय निर्भर करता है, आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की कीमत का कोई संदर्भ नहीं है। इसके अलावा, प्रतिवादी कहीं भी यह नहीं कहता है कि उसके पास किसी भी निर्दिष्ट मूल्य पर कोयला उपलब्ध नहीं है। ई-मेल में, प्रत्यर्थी बस इतना कहता है कि उसके पास वर्ष 2009 की अवधि के शेष भाग के लिए कोई कोयला उपलब्ध नहीं है। हालांकि, जो उपरोक्त ई-मेलों में नहीं कहा गया है या यहां तक कि प्रतिबिंबित भी नहीं हुआ है, उसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकांश सदस्यों द्वारा उक्त ई-मेलों में पढ़ा जाता है और एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त ई-मेल संचार का अर्थ यह लिया जाता है कि प्रत्यर्थी के पास-300 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन पर कोयला उपलब्ध था; और यह कि प्रत्यर्थी एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड।

वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

नतीजतन, डिवीजन बेंच ने निष्कर्ष निकालाः " 29. हम इस बात से अवगत हैं कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 37 के तहत कार्यवाही को जब्त करने वाली अदालत सबूतों की फिर से सराहना नहीं करती है।

बहुत कम एक मामले में जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ-साथ

धारा 34 के तहत एकल न्यायाधीश मामले के तथ्यों पर एक निश्चित दृष्टिकोण से सहमत हैं। हालांकि, यह भी कानून है कि जहां कोई तथ्यात्मक निष्कर्ष बिना किसी सबूत के आधारित है, अदालत धारा 37 के तहत भी इस तरह के निष्कर्ष में हस्तक्षेप कर सकती है। कानूनी स्थिति के हमारे अध्ययन में, एक तथ्यात्मक अनुमान जो उस पर आधारित है जो किसी दस्तावेज़ में नहीं कहा गया है या जिसे 'काल्पनिक साक्ष्य' कहा जा सकता है, 'कोई सबूत नहीं' के आधार पर एक अनुमान के समान है; या

महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए निष्कर्ष निकाला गया। इस तरह के निष्कर्ष पर आधारित निर्णय अनिवार्य रूप से विकृत होगा। यदि बहुमत से

मध्यस्थ न्यायाधिकरण वाणिज्यिक पत्राचार में स्पष्ट रूप से कही गई बातों को नजरअंदाज करता है और ई-मेल के उन शब्दों को पढ़ता है जो मौजूद नहीं हैं, या ई-मेल में निहित शब्दों को नजरअंदाज करता है, यह केवल व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। पूर्ण अन्याय का मार्ग। यह किसी भी उदाहरण का उद्देश्य नहीं है कि पतली हवा से निकाले गए निष्कर्ष स्थायी हो जाएंगे, जो एक मध्यस्थता पुरस्कार की ढाल के पीछे छिपे होंगे। जैसा कि हम इसे देखते हैं, वर्तमान मामले में ठीक यही स्थिति है। इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी था

कोयले की किसी भी कम दर पर खेप की मांग करना

संविदात्मक रूप से सहमत कीमत। इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सबूत भी नहीं है कि जब अपीलार्थी ने इसकी मांग की थी, तो प्रत्यर्थी के पास अपीलार्थी को आपूर्ति करने के लिए कोयला उपलब्ध था। यदि कुछ भी हो, तो प्रत्यर्थी द्वारा एक सीधी स्वीकृति है कि उसके पास वर्ष 2009 के अंत तक कोई कोयला उपलब्ध नहीं था, बिना किसी योग्यता या आरक्षण के कि कोयला अनुबंधित दर पर उपलब्ध था, लेकिन रियायती दर पर नहीं।

30. इसके अलावा यह भी है कि नुकसान की गणना का कोई आधार नहीं है। न्यायाधिकरण ने कोयले की सहमत कीमत और अनुमानित बाजार [2020] 14 एस. सी. आर. में अंतर लेकर नुकसान की गणना की है।

उचित समय पर 'मूल्य'। लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। उस समय कोयले का बाजार मूल्य। प्रत्यर्थी द्वारा नुकसान को कम करने के सवाल का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

कुछ विस्तार से निर्धारित करने के बाद, एसोसिएट लर्स बनाम में निर्णय। डी. डी. ए., (2015) 3 एस. सी. सी. 49 ["एसोसिएट बिल्डर्स"], आयन बेंच ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

33. ..... हालाँकि, वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि अधिकांश मध्यस्थों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण नहीं है क्योंकि यह साक्ष्य की 'मात्रा' या 'गुणवत्ता' या 'कम साक्ष्य' या 'साक्ष्य' का सवाल नहीं है जो गुणवत्ता में माप नहीं करता है।

एक प्रशिक्षित कानूनी दिमाग के लिए 'लेकिन यह एक ऐसा मामला है जहां निकाले गए निष्कर्ष साक्ष्य में पढ़े गए ई-मेल/संचार के सादे और सरल शब्दों के लिए एक गैर-अनुक्रमिक हैं, जो न्यायाधिकरण के समक्ष थे और जो निकाले गए निष्कर्षों का समर्थन नहीं करते हैं। मामले के इस दृष्टिकोण में, स्पष्ट रूप से अधिकांश मध्यस्थों का दृष्टिकोण मनमाना और मनमौजी है और इसलिए पारित नहीं हो सकता है।

न्यायिक मस्टर।

34. परिच्छेद में, हम एक की टिप्पणियों का भी उल्लेख कर सकते हैं

तीन-श्रीमती में उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश पीठ। कमला देवी बनाम सेठ तख्तमल और अन्न। : (1964) 2 एस. सी. आर. 152, जिसमें न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

" 8. ..... भारतीय साक्ष्य की धारा 94 से 98। अधिनियम दस्तावेजों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करता है; वे भी

यह इंगित करता है कि दस्तावेज़ की शर्तों को समझने में कब और किन परिस्थितियों में बाहरी साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 94 किसी दस्तावेज़ की भाषा की व्याख्या का नियम तब निर्धारित करती है जब वह स्पष्ट हो और मौजूदा तथ्यों पर सटीक रूप से लागू हो। इसमें कहा गया है कि

साक्ष्य यह दिखाने के लिए दिया जा सकता है कि यह ऐसे तथ्यों पर लागू होने के लिए नहीं था। जब किसी न्यायालय को किसी दस्तावेज़ की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है, तो वह उसकी भाषा को देखता है। यदि भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है और मौजूदा तथ्यों पर सटीक रूप से लागू होती है, तो यह सामान्य अर्थ को स्वीकार करेगी, क्योंकि न्यायालय का कर्तव्य किसी व्यक्ति के अज्ञात इरादे के लिए मानव मन की पेचीदगियों में गहराई से उतरना नहीं है, बल्कि केवल उसके द्वारा उपयोग किए गए शब्दों का अर्थ लेना है, अर्थात उसके व्यक्त इरादे।

कभी-कभी जब यह कहा जाता है कि एक एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड। वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अदालत को यह पता लगाने के लिए सभी परिस्थितियों को देखना चाहिए कि

क्या शब्द मौजूदा तथ्यों पर सटीक रूप से लागू होते हैं। लेकिन यदि आसपास की परिस्थितियों के संदर्भ में शब्द स्पष्ट हैं, तो न्यायालय लेखक को दस्तावेज़ में उपयोग किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ के विपरीत इरादे का श्रेय देने के लिए उन पर भरोसा नहीं कर सकता है। उक्त खंडों के समूह के अन्य खंड अस्पष्टताओं, अभिव्यक्ति में विशिष्टताओं और लिखित शब्दों के बीच विसंगतियों से संबंधित हैं। और मौजूदा तथ्य। तत्काल मामले में, ऐसी कोई अस्पष्टता या विसंगति मौजूद नहीं है जैसा कि हम वर्तमान में प्रदर्शित करेंगे। द.

प्रिवी काउंसिल का मामला अस्पष्टता का था और आसपास की परिस्थितियों ने वास्तविक इरादे का पता लगाने के लिए संकेत दिया

उनके द्वारा व्यक्त किए गए पक्ष "।

वर्तमान मामले में, हमें 'अज्ञात' की तलाश करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

उत्तरदाता के स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों के बाद से उत्तरदाता का इरादा, जैसा कि पूर्व-उद्धृत ई-मेल/में निहित है।

संचार, पूरी तरह से मौजूदा तथ्यों के अनुरूप हैं और पूरी तरह से लागू होते हैं। इसलिए हमें उन ईमेलों/संचारों में जो कहा गया है, उसके सामान्य अर्थ को स्वीकार करना चाहिए, अर्थात् प्रतिवादी के पास अपीलार्थी को आपूर्ति करने के लिए वर्ष 2009 के अंत तक कोई कोयला उपलब्ध नहीं था।

इसका अनुवाद आई. एन. आर. 7,48,56,06,115 है जो लगभग आई. एन. आर. 748 करोड़ है। हमारे विचार में, इस तरह का निर्णय निश्चित रूप से तथ्यात्मक और कानूनी आधार पर होना चाहिए, न कि केवल यह कहने के लिए कि यह एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया है और इसलिए यह पवित्र है। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, हर्जाने, ब्याज और लागत का अधिनिर्णय न्याय का उपहास है और पुरस्कार विकृति से ग्रस्त है। 36. हमारे विचार में, एकल न्यायाधीश ने भी उपरोक्त बुनियादी पहलुओं की सराहना नहीं की है, जिन पर न्यायाधिकरण के बहुमत का निर्णय बदल जाता है। ऐसा करते समय एकल न्यायाधीश ने धारा 34 के तहत कार्यवाही में त्रुटि की है, जो [2020] 14 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 37 के अधीन वर्तमान कार्यवाहियों में सुधार के लिए उत्तरदायी।

37. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत किए गए एकल न्यायाधीश के बहुमत पुरस्कार दिनांक 12.05.2014 के साथ-साथ आदेश दिनांक 10.07.2015 को भी अलग करते हैं।

10. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने बड़ी मेहनत से हमें एल. टी. ए. और पूरे मामले के बारे में बताया।

पक्षों के बीच होने वाला पत्राचार। उन्होंने तर्क दिया कि बहुमत पुरस्कार द्वारा दिए गए सभी निष्कर्ष तथ्य के निष्कर्ष थे, एल. टी. ए. के किसी भी कार्यकाल के निर्माण पर बहुत कम विवाद हुआ था; कोयले की अनुबंधित मात्रा के बारे में कोई विवाद नहीं है जिसकी आपूर्ति पांचवीं वितरण अवधि में की जानी थी, यानी 4,66,000 मीट्रिक टन; जिस कीमत पर ऐसे कोयले की आपूर्ति की जानी थी, यानी 300 डॉलर प्रति मीट्रिक टन की दर से, उस पर कोई विवाद नहीं है। और कोयले की मात्रा के बारे में कोई विवाद नहीं है जो कि 454,034 मीट्रिक टन है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष एकमात्र मुद्दा यह था कि क्या अपीलकर्ता संविदात्मक मूल्य पर कोयले की अनुबंधित मात्रा की आपूर्ति करने में असमर्थ था, या क्या प्रतिवादी संविदात्मक मूल्य पर कोयले की मात्रा उठाने के लिए तैयार नहीं था, दोनों विशुद्ध रूप से एल. टी. ए. से उत्पन्न संविदात्मक दायित्वों के प्रदर्शन के बारे में तथ्य के प्रश्न थे। 11. श्री सिब्बल ने तब तर्क दिया कि एक महत्वपूर्ण पत्र दिनांक 11.03.2009, जिसके द्वारा अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से एक डिलीवरी का प्रस्ताव करने का अनुरोध किया

एल. टी. ए. के तहत अनुसूची, अनुत्तरित रही, बहुमत पुरस्कार वास्तव में यह पाए जाने पर कि उक्त पत्र प्रत्यर्थी को प्राप्त हुआ था। किसी भी स्थिति में, उन्होंने तर्क दिया कि अपीलार्थी का दिनांकित 21.09.2009 का पत्र, जिसमें दिनांकित 11.03.2009 का उल्लेख है, अपीलार्थी के पक्ष में मामला कायम करेगा, क्योंकि इस पत्र में स्पष्ट रूप से कोयले की शेष मात्रा के वितरण का उल्लेख किया गया है, जिसमें बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रस्ताव दिया गया है, जो खुला है और 30.09.2009 तक स्वीकार करने में सक्षम है। इस पर प्रत्यर्थी का एकमात्र जवाब 25.09.2009 दिनांकित एक पत्र द्वारा था, जिसमें

संविदात्मक मूल्य पर कोयला उठाने की बाध्यता को स्वीकार किया गया था, प्रतिवादी ने कीमत में कमी की मांग की, बिना यह बताए कि उसे दिनांकित 11.03.2009 पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रत्यर्थी से डिलीवरी अनुसूची की मांग करके एल. टी. ए. के अनुसार डिलीवरी करने की अपीलार्थी की इच्छा को दर्शाता है। अतः उनका तर्क था -

कि बहुमत पुरस्कार और विद्वान एकल न्यायाधीश, पत्राचार की संपूर्णता का उल्लेख करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रतिवादी एल. टी. ए. का उल्लंघन कर रहा था, जबकि डिवीजन बेंच एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड।

वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

12. श्री सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि एसोसिएट बिल्डर्स (उपरोक्त) में निर्धारित मध्यस्थता पुरस्कारों की न्यायिक समीक्षा के मापदंडों को पार करने के लिए, डिवीजन बेंच ने गलत तरीके से कहा कि इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए "कोई सबूत नहीं" है कि प्रतिवादी संविदात्मक मूल्य से कम दर पर कोयले के डंठल की मांग कर रहा था, और कई पत्रों और ईमेलों को इंगित किया जो इसे पूरी तरह से गलत बताते हैं। डिवीजन बेंच के लिए यह निष्कर्ष निकालना भी पूरी तरह से गलत था कि इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए "कोई सबूत नहीं" था कि अपीलार्थी के पास प्रतिवादी को आपूर्ति करने के लिए कोयला उपलब्ध था, जो श्री विल्कोक्स के साक्ष्य के साथ-साथ पक्षों के बीच पत्राचार के दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी करने के बराबर होगा। समान रूप से, उन्होंने तर्क दिया कि संबंधित अवधि में कोयले का बाजार मूल्य श्री विल्कोक्स द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों से स्पष्ट रूप से साबित हुआ था और इसलिए, डिवीजन बेंच के लिए यह कहना कि उल्लंघन के समय कोयले के बाजार मूल्य को साबित करने के लिए "कोई सबूत" नहीं है, यह भी पूरी तरह से गलत था।

13. श्री नीरज किशन कौल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता,

श्री सिब्बल की प्रस्तुतियों को पूरक करते हुए और कहा कि पत्राचार के समग्र संदर्भ से पता चलता है कि प्रतिवादी ने बार-बार पांचवीं वितरण अवधि के दौरान संविदात्मक मूल्य से कम कीमत पर आपूर्ति करने के लिए कहा, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से 300 डॉलर प्रति मीट्रिक टन की कीमत पर कोयला उठाने में असमर्थ था। यहां तक कि जब पांचवीं डिलीवरी अवधि में केवल दो महीने बचे थे, तब भी अधिकतम 50,000 मीट्रिक टन "मिश्रित" आपूर्ति की मांग की गई थी, जो 300 डॉलर प्रति मीट्रिक टन की "मिश्रित" दर पर और उससे बहुत कम दर पर थी। उन्होंने श्री विल्कोक्स की गवाही का भी उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि अपीलकर्ता कोयले का एक प्रमुख उत्पादक था और जुलाई 2009 में पांचवीं वितरण अवधि के समय बड़ी मात्रा में कोयले का उत्पादन किया गया था, जिसकी आसानी से आपूर्ति की जा सकती थी, अगर प्रतिवादी 300 डॉलर प्रति मीट्रिक टन की कीमत पर 454,034 मीट्रिक टन की शेष अनलिफ्टेड मात्रा की मांग करता। 14. प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने इस विवादित फैसले का समर्थन किया।

डिवीजन बेंच और हमें के बीच पत्राचार के माध्यम से ले गया पक्षकार, बहुमत पुरस्कार, असहमति पुरस्कार, और विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के निर्णय। उनके अनुसार, यह [2020] 14 एस. सी. आर.

न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत, इस तथ्य को देखते हुए कि डिवीजन बेंच ने अपील की अदालत के रूप में कार्य नहीं किया था, लेकिन विशेष रूप से एसोसिएट बिल्डर्स (ऊपर) में फैसले का पालन किया था, इसमें उसने वर्तमान मामले को एक ऐसा मामला पाया जिसमें उल्लंघन के महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ-साथ हर्जाने की मात्रा पर "कोई सबूत" नहीं था। उनके अनुसार, तीन महत्वपूर्ण ईमेल जिन पर भरोसा किया गया था

डिवीजन बेंच द्वारा सही ढंग से भरोसा किया गया था, क्योंकि ये ईमेल स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि अपीलकर्ता कोयले की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं था, और यह कि प्रतिवादी आपूर्ति लेने की स्थिति में था, और वास्तव में मांग करता था कि कोयले की आपूर्ति एल. टी. ए. के अनुसार की जाए।

15. श्री रोहतगी ने तब एल. टी. ए. के खंड 7.2 और अनुलग्नक IV का उल्लेख किया, जो एक वितरण अनुसूची की सूचना से संबंधित है, और कहा कि एल. टी. ए. के तहत, विक्रेता के रूप में, यह सुनिश्चित करना अपीलार्थी का पहला दायित्व था कि पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध हो।

जिसके बाद, पार्टियों के बीच डिलीवरी अनुसूची पर सहमति बनने से पहले एक जहाज का नामांकन होना था। उन्होंने तर्क दिया कि पार्टियों के बीच आदान-प्रदान किए गए ईमेल और पत्रों के आधार पर, वास्तव में, केवल एक तदर्थ शिपमेंट "मिश्रित" दर पर किया गया था, आंशिक रूप से $300 प्रति मीट्रिक टन के संविदात्मक मूल्य पर और आंशिक रूप से $128.25 प्रति मीट्रिक टन की दर पर, जिसके तहत अगस्त 2008 में 50,000 मीट्रिक टन की तदर्थ मात्रा की आपूर्ति की गई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि जब अपीलार्थी ने कहा कि वह "अगस्त/सितंबर में एक स्टेम की पुष्टि करने में असमर्थ था" और उसके पास "शेष वर्ष के लिए कोई कोयला उपलब्धता नहीं थी", तो अपीलार्थी ने एल. टी. ए. का उल्लंघन किया और उसे अस्वीकार कर दिया। श्री रोहतगी के अनुसार, डिवीजन बेंच द्वारा संदर्भित तीन महत्वपूर्ण ईमेल स्पष्ट और स्पष्ट थे, और मौखिक साक्ष्य द्वारा इसका खंडन नहीं किया जा सकता था, इसलिए बहुमत पुरस्कार, मनमाने ढंग से और मनमौजी रूप से श्री विल्कॉक्स के बयानों पर भरोसा करने में पूरी तरह से गलत था, यह समझाने का प्रयास करने के लिए कि इन ईमेलों में क्या स्पष्ट रूप से कहा गया था। वह.

16. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि बहुमत पुरस्कार एक विस्तृत पुरस्कार है। पुरस्कार, जो तथ्यों में बहुत विस्तार से जाता है, उत्तर दिए जाने वाले मुद्दों की रूपरेखा तैयार करता है, और फिर मामले में दिए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी मुद्दों का उत्तर देता है।

एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मौखिक साक्ष्य की जांच करना, प्रतिवादी के उल्लंघन में होने और नुकसान की मात्रा दोनों पर एक संभावित दृष्टिकोण पर आया है। 18. हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि खंड पीठ का पूरा दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, चेरी के लिए-तीन ईमेल चुनें

एल. टी. ए. और एल. टी. ए. के संदर्भ को ध्यान में रखे बिना, पूरे पत्राचार और केवल उन तीन ईमेलों पर निर्णय देना। उन तीन ईमेलों से पहले और बाद में पत्राचार, डिवीजन बेंच के फैसले को मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण बना देगा। इसके अलावा, यह निष्कर्ष कि "कोई सबूत नहीं" था जिसकी प्रतिवादी ने मांग की थी

अनुबंध दर की तुलना में कम दर पर कोयले के डंठल, पक्षों के बीच कम से कम तीन अलग-अलग आदान-प्रदान के सामने उड़ते हैं, जो कि प्रतिवादी के दिनांकित 20.11.2008,27.11.2009 और 03.12.2009 पत्र हैं। 19. समान रूप से, डिवीजन बेंच का यह निष्कर्ष कि कोई सबूत नहीं दिया गया था, यह दर्शाता है कि अपीलार्थी के पास शेष राशि की उपलब्धता थी

21.09.2009 और 25.09.2009 पर पार्टियों के बीच। इन सभी पहलुओं पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बहुमत निर्णय में विचार किया गया था। 20. यह निष्कर्ष कि उल्लंघन के समय कोयले के बाजार मूल्य को साबित करने के लिए "कोई सबूत नहीं" है, और इसलिए, नुकसान की मात्रा

ठीक नहीं किया जा सका, फिर से श्री विल्कोक्स के मुख्य साक्ष्य और प्रतिपरीक्षा की पूरी तरह से अनदेखी करता है; प्रतिवादी के पत्र दिनांकित 25.09.2009,27.11.2009 और 03.12.2009; साथ ही अपीलार्थी के पुनः बातचीत किए गए अनुबंध [2020] 14 एस. सी. आर.

सेल/आरआईएनएल के साथ। बहुमत पुरस्कार द्वारा इन सभी पहलुओं पर बहुत विस्तार से विचार किया गया है। 21. हालाँकि, श्री रोहतगी ने हमें डिवीजन बेंच द्वारा भरोसा किए गए तीन ईमेलों, अर्थात् 02.07.2007,22.07.2009 और 07.09.2009 में निहित स्पष्ट भाषा को देखने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें कहा गया था कि न केवल अगस्त/सितंबर 2009 के लिए कोई स्टेम उपलब्ध नहीं थे, बल्कि यह भी कि शेष वर्ष के लिए कोई कोयला नहीं बचा था।

यह स्पष्ट है कि यह अपीलार्थी की ओर से एक स्वीकारोक्ति थी कि वह पांचवीं वितरण अवधि के शेष के दौरान कोयले की अनुबंधित मात्रा की आपूर्ति करने में असमर्थ था। हालाँकि, श्री रोहतगी को यह महत्वपूर्ण तथ्य याद है कि इस अवधि के दौरान आदान-प्रदान किए गए किसी भी ईमेल या पत्र में उठाए जाने वाले कोयले की कोई कीमत नहीं बताई गई थी। वास्तव में यह वही है जिसे बहुमत पुरस्कार विज्ञापन देता है और श्री विल्कोक्स द्वारा दिए गए साक्ष्य का सहारा लेकर भरता है, जिसमें कहा गया है कि अस्पष्टता क्या थी

इस तथ्य से हल किया गया कि संविदात्मक मूल्य से कम कीमत पर उठाने के लिए कोई कोयला उपलब्ध नहीं था। श्री विल्कोक्स के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए बहुमत पुरस्कार ने पाया कि जिन आपूर्ति की मांग की गई थी

इसलिए अगस्त और सितंबर, 2009 भी "मिश्रित" आपूर्ति की प्रकृति में थे, यानी अनुबंध मूल्य पर कोयला, साथ ही बहुत कम मूल्य पर कोयला। यह तथ्य की एक खोज है जिसे विकृत के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि साक्ष्य के नेतृत्व से स्पष्ट है,

22. डिवीजन बेंच ने श्रीमती पर भी भरोसा किया। कमला देवी बनाम। तख्तमल और अन्न। , (1964) 2 एससीआर 152, ["श्रीमती। कमला देवी] ने बदले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 [साक्ष्य अधिनियम] की धारा 94 पर भरोसा किया, जिसके द्वारा खंड पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि उसने पाया कि पार्टियों के अज्ञात इरादे की तलाश करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि तीन "महत्वपूर्ण" ईमेलों में स्पष्ट और स्पष्ट शब्द थे

पूरी तरह से मौजूदा तथ्यों के अनुरूप और पूरी तरह से लागू किया गया। इसलिए, उन ईमेलों में जो कहा गया था, उसके सामान्य अर्थ को बिना अधिक के स्वीकार किया जाना चाहिए, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि अपीलार्थी के पास वर्ष के अंत तक (यानी 2009) प्रत्यर्थी को आपूर्ति करने के लिए कोई कोयला उपलब्ध नहीं था।

23. श्रीमती में निर्णय। कमला देवी (उपरोक्त) ने एक जमानत बांड की व्याख्या पर चर्चा की जिसे एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड में अपीलार्थी द्वारा निष्पादित किया गया था।

वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]अदालत की। प्रिवी काउंसिल के एक फैसले ने बताया कि

उनंदन वी. कीर्तनानंद, ए. आई. आर. 1932 पी. सी. 131 को संदर्भित किया गया था।

एच लॉर्ड टॉमलिन ने एक अस्पष्ट जमानत बंधन का उल्लेख किया जो था

उस मामले में तथ्यों की आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा दिए जाने का निर्देश देने वाले आदेश के आलोक में। सेटिंग के बाद

प्रिवी काउंसिल के फैसले में, इस न्यायालय ने तब निर्णय दिया:

" ये अवलोकन केवल निर्माण के सुव्यवस्थित नियम को लागू करते हैं।

जमानती बांड के लिए दस्तावेजों का। भारतीय संविधान की धारा 94 से 98

सबूत। अधिनियम दस्तावेजों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करता है;

ए की शर्तों को समझने में साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है दस्तावेज़। साक्ष्य अधिनियम की धारा 94 एक नियम निर्धारित करती है -

किसी दस्तावेज़ की भाषा की व्याख्या जब वह सादा हो और यह मौजूदा तथ्यों पर सटीक रूप से लागू होता है। यह कहता है कि सबूत हो सकता है

यह दिखाने के लिए दिया गया था कि यह ऐसे तथ्यों पर लागू होने के लिए नहीं था। कब

एक अदालत को एक दस्तावेज़ की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है, यह उसकी भाषा को देखता है। अगर

भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है और सटीक रूप से लागू होती है

विद्यमान तथ्य, यह सामान्य अर्थ को स्वीकार करेगा, कर्तव्य के लिए

न्यायालय को मानव की पेचीदगियों में गहराई से उतरना नहीं है

एक निश्चित व्यक्ति के अज्ञात इरादे पर ध्यान दें, लेकिन केवल लेने के लिए

उनके द्वारा उपयोग किए गए शब्दों का अर्थ, अर्थात उनकी अभिव्यक्ति

इरादे। कभी-कभी जब यह कहा जाता है कि न्यायालय को इस पर गौर करना चाहिए सभी परिस्थितियों में एक लेखक के इरादे का पता लगाने के लिए, यह केवल के लिए है

यह पता लगाने का उद्देश्य कि क्या शब्द सटीक रूप से लागू होते हैं

मौजूदा तथ्य। लेकिन अगर शब्द के संदर्भ में स्पष्ट हैं आसपास की परिस्थितियों में, न्यायालय उन पर भरोसा नहीं कर सकता है

लेखक को सादे अर्थ के विपरीत एक इरादे का श्रेय दें।

दस्तावेज़ में उपयोग किए गए शब्द। उक्त में अन्य अनुभाग खंडों का समूह अस्पष्टताओं, अभिव्यक्ति में विशिष्टताओं से संबंधित है।

और लिखित शब्दों और मौजूदा के बीच विसंगतियाँ तथ्य। तत्काल मामले में ऐसी कोई अस्पष्टता या विसंगति मौजूद नहीं है।

जैसा कि हम वर्तमान में प्रदर्शित करेंगे। प्रिवी काउंसिल का मामला था अस्पष्टता और आसपास की परिस्थितियों में से एक ने संकेत दिया

उनके द्वारा व्यक्त किए गए पक्षों के वास्तविक इरादे का पता लगाने के लिए।

(पृष्ठ 162)

ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, न्यायालय ने तब पाया कि जमानत बांड नहीं था

इसमें शब्द जोड़कर योग्य होने के लिए जब शब्दों का उपयोग किया जाता है

अन्यथा स्पष्ट थे। महत्वपूर्ण रूप से, शब्द "उनके [2020] 14 एस. सी. आर. के डिफ़ॉल्ट में।

जब दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो। यह जोड़ते हुए कि जमानत बांड का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए, अदालत ने कहा कि निर्णय देनदार पर अदालत की मांग, और ऐसा करने में उसके द्वारा की गई चूक, बांड के प्रवर्तन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें थीं। अपीलार्थी।

24. साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 इस प्रकार बताती है:

" 1. संक्षिप्त शीर्षक। — इस अधिनियम को भारतीय साक्ष्य कहा जा सकता है।

अधिनियम, 1872।

विस्तार। — यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है और सेना अधिनियम, नौसेना अनुशासन अधिनियम या भारतीय नौसेना (अनुशासन) अधिनियम, 1934 या वायु सेना अधिनियम के तहत बुलाए गए कोर्ट मार्शल के अलावा किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है, लेकिन किसी भी न्यायालय या अधिकारी को प्रस्तुत किए गए हलफनामों पर लागू नहीं होता है, न ही एक मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही; "

25. यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 94 के अनुप्रयोग को नुकसान के रास्ते से बाहर रखने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि, इस आधार पर कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 94 में निहित सिद्धांत, "पेटेंट अस्पष्टता" के मामलों में बाहरी साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य है, भारतीय न्यायशास्त्र के लिए मौलिक है, हम इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या

26. धारा 94 साक्ष्य अधिनियम के अध्याय VI में दिखाई देती है जिसका शीर्षक है, "दस्तावेजों द्वारा मौखिक बहिष्कार का" सबूत "। इस संबंध में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 का परंतुक (6) महत्वपूर्ण है और निम्नानुसार कहता है:

" 92. मौखिक समझौते के साक्ष्य का बहिष्करण। — जब ऐसे किसी अनुबंध, अनुदान या संपत्ति के अन्य निपटान की शर्तों, या कानून द्वारा आवश्यक किसी भी मामले को एक के रूप में कम किया जाए

दस्तावेज़, अंतिम धारा के अनुसार साबित किया गया है, किसी भी मौखिक समझौते या बयान का कोई सबूत स्वीकार नहीं किया जाएगा, जैसा कि पक्षकारों के बीच किसी भी ऐसे दस्तावेज या उनके प्रतिनिधियों के हित में, विरोधाभासी, भिन्न, जोड़ने के उद्देश्य से, या

इसकी शर्तों से घटाते हुए:

एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

XXX XXX XXX

प्रोविसो (6)। — कोई भी तथ्य साबित किया जा सकता है जो दर्शाता है कि किसी दस्तावेज़ की भाषा किस तरह से मौजूदा तथ्यों से संबंधित है।

चित्रण (च) में कहा गया हैः

" दृष्टांत

XXX XXX XXX

(च) बी के माल का आदेश एक पत्र द्वारा देता है जिसमें भुगतान के समय के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है, और डिलीवरी पर माल को स्वीकार करता है। बी कीमत के लिए ए पर मुकदमा करता है। ए यह दिखा सकता है कि माल की आपूर्ति क्रेडिट पर एक अवधि के लिए की गई थी जो अभी भी समाप्त नहीं हुई थी।

इसके बाद साक्ष्य अधिनियम की धारा 94 और 95 आती हैं।

कौन सा कथन हैः

" 94. मौजूदा तथ्यों पर दस्तावेज़ के आवेदन के खिलाफ साक्ष्य का बहिष्करण। जब किसी दस्तावेज़ में उपयोग की जाने वाली भाषा अपने आप में सरल होती है, और जब यह मौजूदा तथ्यों पर सटीक रूप से लागू होती है, तो यह दिखाने के लिए सबूत नहीं दिया जा सकता है कि यह ऐसे दस्तावेज़ों पर लागू होने के लिए नहीं था।

तथ्य "।

95. के संदर्भ में अप्रासंगिक दस्तावेज़ के रूप में साक्ष्य

मौजूदा तथ्य। जब किसी दस्तावेज़ में उपयोग की जाने वाली भाषा अपने आप में सरल होती है, लेकिन मौजूदा तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन होती है, तो यह दिखाने के लिए सबूत दिया जा सकता है कि इसका उपयोग एक विशिष्ट अर्थ में किया गया था।

27. महत्वपूर्ण रूप से, साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 "अनुबंध, अनुदान या संपत्ति के अन्य निपटान या कानून द्वारा आवश्यक किसी भी मामले को दस्तावेज़ के रूप में कम करने" की शर्तों को संदर्भित करती है। इन सभी मामलों में, दृष्टान्त (च) के साथ पठित परंतुक (6) के तहत, कोई भी तथ्य साबित किया जा सकता है।

जो दर्शाता है कि किसी दस्तावेज़ की भाषा किस तरह से मौजूदा तथ्यों से संबंधित है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 का चित्रण (च) इंगित करता है कि तथ्य, जो इसके बावजूद, अस्पष्ट और अस्पष्ट हो सकते हैं, अनुबंध, अनुदान या अन्य संदर्भों में निश्चित किए जा सकते हैं।

संपत्ति का निपटान। साक्ष्य अधिनियम की धारा 94, तब बात करती है

दस्तावेज़ में उपयोग की जाने वाली भाषा "अपने आप में सादा" है। यह केवल तभी है जब ऐसा दस्तावेज़ "मौजूदा तथ्यों पर सटीक रूप से लागू होता है", तो यह दिखाने के लिए सबूत नहीं दिया जा सकता है कि

यह ऐसे तथ्यों पर लागू होने के लिए नहीं था। इसी तरह, विपरीत स्थिति साक्ष्य अधिनियम की धारा 95 में निहित है,

जो तब कहता है कि जब किसी दस्तावेज़ में उपयोग की जाने वाली भाषा [2020] 14 एस. सी. आर. में स्पष्ट होती है।

स्वयं, लेकिन "मौजूदा तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन" है, केवल तभी यह दिखाने के लिए सबूत दिया जा सकता है कि इसका उपयोग एक विशिष्ट अर्थ में किया गया था।

28. जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 92,94 और 95 लागू की जाती है।

पक्षों के बीच पत्राचार की एक कड़ी के लिए, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक दस्तावेज़ को एक सुसंगत पूरे का हिस्सा माना जाना चाहिए, जो केवल तभी होता है जब दस्तावेज़ की "सादा" भाषा को पहले मौजूदा तथ्यों पर सटीक रूप से लागू किया जाता है।

29. वुड्रॉफ और अली के साक्ष्य के नियम में, विद्वान लेखक

राय दें कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 93 और 94 पेटेंट अस्पष्टता के मामलों से संबंधित हैं, जबकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 95 से 97 से संबंधित हैं। अव्यक्त अस्पष्टता के मामलों के साथ (पृष्ठ 3119-3120 देखें)। एविडेंस 2 पर स्टार्की में एक "पेटेंट अस्पष्टता" को निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया है:

" पेटेंट अस्पष्टता से एक अंतर्निहित अस्पष्टता को समझा जाना चाहिए।

शब्दों में, और किसी भी कानूनी द्वारा दूर किए जाने में असमर्थ

निर्माण के नियम उपकरण पर ही लागू होते हैं, या साक्ष्य द्वारा

यह दर्शाता है कि शब्द अपने आप में अर्थहीन या अस्पष्ट हैं

एक ज्ञात पारंपरिक अर्थ प्राप्त करने में सक्षम, महान जिस सिद्धांत पर नियम स्थापित किया गया है वह यह है कि पक्षों का इरादा,

उनका अर्थ लगाया जाना चाहिए, न कि उनके इरादों के अस्पष्ट साक्ष्य से

उन अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र रूप से जिन्हें उन्होंने उचित माना है

उपयोग करें, लेकिन स्वयं अभिव्यक्ति द्वारा। अब, उन अभिव्यक्तियों जो किसी भी कानूनी निर्माण और व्याख्या में असमर्थ हैं।

कला के नियमों के अनुसार या तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपने आप में हैं

अस्पष्ट, या क्योंकि, बोधगम्य होने के कारण, वे एक सादा और स्पष्ट प्रदर्शन करते हैं।

स्पष्ट अनिश्चितता। पहली बार में, मामला दो को स्वीकार करता है।

किस्में; शब्द हालांकि पहली नजर में समझ में नहीं आते हैं, फिर भी हो सकते हैं

सबूत, जैसे कि वे एक विदेशी भाषा में लिखे गए थे, जैसे जब व्यापारिक शब्दों का उपयोग किया जाता है जो व्यापारिक पुरुषों के बीच होता है

एक विशिष्ट और निश्चित अर्थ रखता है, हालांकि अन्य नहीं करते हैं

उन्हें समझें; दूसरी ओर, उपयोग किए गए शब्द हो सकते हैं कोई विशिष्ट और निश्चित व्याख्या करने में सक्षम नहीं। अब, यह स्पष्ट है

कि एक उपकरण को प्रभावी बनाने के लिए, जिसकी शर्तें, हालांकि

स्पष्ट रूप से अस्पष्ट एक विशिष्ट और निश्चित होने में सक्षम हैं

1 वुडरोफ, जे. और अली, ए., लॉ ऑफ एविडेंस, 19 वां संस्करण (खंड 3), 2013, बटरवर्थ्स वाधवा, नागपुर। 2 स्टार्की, टी., ए ट्रीटीज ऑन द लॉ ऑफ एविडेंस, 7 वां संस्करण, 1829, विलियम बेनिंग, लंदन।

एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उनके साथ जोड़ा गया अर्थ सामान्य सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, के लिए, ऐसे मामले में, प्रभाव दिया जाता है, किसी भी ढीले अनुमान के लिए नहीं

पार्टी के इरादे और अर्थ के लिए, लेकिन व्यक्त अर्थ के लिए

और वह, दूसरी ओर, जहाँ या तो उपयोग किए गए शब्द हैं

किसी निश्चित और निश्चित अर्थ में असमर्थ, या, स्वयं समझदार, स्पष्ट और स्पष्ट अनिश्चितता प्रदर्शित करते हैं, और

समान रूप से विभिन्न अनुप्रयोगों में सक्षम हैं, एक प्रभाव देने के लिए

उन्हें पक्ष के इरादे के रूप में बाहरी साक्ष्य द्वारा

किसी भी कथित इरादे को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए

इस तरह के इरादे की निश्चित अभिव्यक्ति। पेटेंट अस्पष्टता से, इसलिए, एक अंतर्निहित अस्पष्टता को समझा जाना चाहिए, जो नहीं हो सकता है

हटा दिया गया, या तो कानूनी निर्माण के सामान्य नियमों द्वारा या द्वारा बाह्य और व्याख्यात्मक साक्ष्य का अनुप्रयोग, दिखा रहा है

कि अभिव्यक्तियाँ, प्रथम दृष्टया, अस्पष्ट, अभी भी सक्षम हैं एक निश्चित और निश्चित अर्थ को व्यक्त करना।

(पृष्ठ 653)

दूसरी ओर, वुड्रॉफ में एक "अव्यक्त अस्पष्टता" का वर्णन किया गया है।

अली का साक्ष्य का नियम इस प्रकार हैः

" अव्यक्त अस्पष्टता, अधिक सामान्य अनुप्रयोग में, उत्पन्न होती है

उपकरण के लिए बाहरी तथ्यों का अस्तित्व, और निर्माण

किसी प्रश्न के इन तथ्यों द्वारा जो दस्तावेज़ द्वारा ही हल नहीं किए गए हैं। ए.

अव्यक्त अस्पष्टता तब उत्पन्न होती है जब वाद्य के शब्द स्पष्ट होते हैं,

लेकिन परिस्थितियों में उनका अनुप्रयोग संदिग्ध है; यहाँ

अस्पष्टता, केवल बाहरी साक्ष्य द्वारा उठाई जा रही है, इसकी अनुमति है

अपने प्राकृतिक शब्द से अलग शब्द के लिए जैसा कि धारा 98 में देखा जा सकता है, अव्यक्त अस्पष्टता के उदाहरण होंगे, क्योंकि इसका दोहरा उपयोग

शब्द इसे इस संदेह के लिए खुला छोड़ देगा कि इसकी दो इंद्रियों में से कौन सी है

लिया जाना था। हालाँकि, यह इस वर्ग के मामलों के लिए नहीं है कि

अब संदर्भ दिया गया है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनमें अस्पष्टता है

बल्कि वर्णन का, या तो अस्तित्व से खुद को अस्पष्ट

दो विषय वस्तु, या दो व्यक्ति, दोनों इसकी शर्तों के भीतर आते हैं

जैसा कि धारा 96 में देखा जा सकता है, या अपूर्ण जब किसी पर सहन किया जाता है

धारा 95 और 97 के अनुसार व्यक्ति या वस्तु दी गई है।

(पृष्ठ 3132-3133)

30. इस स्तर पर, इसकी परिभाषा का विज्ञापन करना भी महत्वपूर्ण है

" साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में, जो नीचे दी गई हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 3. व्याख्या-खंड। इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग निम्नलिखित अर्थों में किया गया है, जब तक कि संदर्भ से कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो। —

XXX XXX XXX

“ तथ्य "। — “ तथ्य का अर्थ है और इसमें शामिल है-(1) कुछ भी, चीजों की स्थिति, या चीजों का संबंध, जो लोगों द्वारा महसूस किया जा सकता है।

संवेदनाएँ;

(2) कोई भी मानसिक स्थिति जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति सचेत हो।

दृष्टांत (a) कि कुछ वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया है

एक निश्चित स्थान, एक तथ्य है।

(ख) यह एक तथ्य है कि एक व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा है।

(ग) कि एक आदमी ने कुछ शब्द कहे, यह एक तथ्य है।

(घ) कि एक व्यक्ति एक निश्चित राय रखता है, एक निश्चित इरादा रखता है, सद्भावना से या धोखाधड़ी से कार्य करता है, या एक विशेष अर्थ में एक विशेष शब्द का उपयोग करता है, या एक निर्दिष्ट समय पर किसी शब्द के बारे में सचेत है या था। विशेष अनुभूति, एक तथ्य है।

(ई) कि एक व्यक्ति की एक निश्चित प्रतिष्ठा है, यह एक तथ्य है।

31. इसलिए, जो तस्वीर सामने आती है, वह यह है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 94 में निहित "पेटेंट अस्पष्टता" प्रावधान केवल लागू होता है।

जब कोई दस्तावेज़ मौजूदा तथ्यों पर सटीक रूप से लागू होता है, जिसमें शामिल है कि किसी विशेष अर्थ में किसी विशेष शब्द का उपयोग कैसे किया जाता है। यह देखते हुए कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, तीन "महत्वपूर्ण" ईमेलों में कोयले की आपूर्ति किस कीमत पर की जानी थी, इसका कोई उल्लेख नहीं था, इन ईमेलों को पक्षों के बीच पत्राचार की संपूर्णता के हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो तब उपरोक्त ईमेलों में तथाकथित "स्वीकार" को मौजूदा तथ्यों पर लागू करता है। एक बार ऐसा करने के बाद, यह स्पष्ट हो जाता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 94 में निहित "पेटेंट अस्पष्टता" सिद्धांत को वर्तमान के तथ्यों पर आगे लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

मामला।

32. हालाँकि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 95, अव्यक्त अस्पष्टता से निपटने के लिए, जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के परंतुक (6) और चित्रण (च) के साथ पढ़ा जाता है, तो वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू हो सकता है, जैसे कि जब ए. एन. जी. एल. ओ. अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पी. टी. वाई. लिमिटेड को देखते हुए किसी दस्तावेज़ की सादे भाषा का कोई अर्थ नहीं है कि किसी विशेष अर्थ में विशेष शब्दों का उपयोग कैसे किया जाता है।

वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पत्राचार की संपूर्णता, ऐसी भाषा की विशिष्ट भावना को दिखाने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व किया जा सकता है। इस प्रकार, यदि इस प्रावधान को लागू किया जाता है, तो बहुमत पुरस्कार को गलत नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि इसने श्री विल्कोक्स द्वारा दिए गए साक्ष्य को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने समझाया है कि तीन ईमेल केवल तभी सार्थक होंगे जब उन्हें कोयले की "मिश्रित" आपूर्ति के लिए लिया जाए, न कि अनुबंध मूल्य पर कोयले की आपूर्ति के लिए।

33. ज्यूरिख में सिंगापुर में अपील न्यायालय का एक निर्णय

बीमा (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड बनाम बी-गोल्ड इंटीरियर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन पीटीई लिमिटेड, [2008] एसजीसीए 27 ने सिंगापुर के साक्ष्य अधिनियम की धारा 96 पर चर्चा की, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 94 के बराबर है। सिंगापुर अपील न्यायालय ने धारा निर्धारित करने के बाद कहाः

" 77 ..... धारा 96 का कुछ संकीर्ण शब्दांकन, जो संदर्भित करता है विशिष्ट स्थिति जहाँ दस्तावेज़ में भाषा "लागू होती है

सटीक रूप से मौजूदा तथ्यों के लिए ", संभवतः इसके लिए जिम्मेदार है

वसीयत से संबंधित व्याख्या के नियम के रूप में उत्पत्ति। यह इसलिए खंड को बहुत सीमित रूप से नहीं पढ़ा जाना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 95 की तरह, धारा 96 को एक सामान्य नियम निर्धारित करने के रूप में देखा जाना चाहिए।

बाह्य साक्ष्य के उपयोग पर इन्द्रिय सीमा जिसे धारा 94 के परंतुक (च) के तहत स्वीकार किया गया है। बटरवर्थ के एनोटेटेड क़ानूनों में, यह

(पृष्ठ 275 पर) कहा गया है किः

पूर्ववर्ती खंड [अर्थात, एस। 95] और वर्तमान धारा [अर्थात, धारा 96] व्याख्या की बाहरी सीमाओं को इस अर्थ में निर्धारित करती है कि

वे उस स्थान को चिह्नित करते हैं जहाँ लेखक द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा को किसी भी बाहरी साक्ष्य पर प्रबल होना चाहिए और वह स्थान जहाँ भाषा पर बाहरी साक्ष्य प्रबल हो सकता है। इसलिए जिस तरह से भाषा स्पष्ट रूप से अस्पष्ट है, उसे बाहरी साक्ष्य द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए जहां उपयोग की जाने वाली भाषा उसके चेहरे पर सादा है, उसे प्रभाव दिया जाना चाहिए, हालांकि इसे दिखाया जा सकता है। कि लेखक ने गलती की है।

इसी तरह, वुडरोफ में पृष्ठ 3510 पर, भारतीय अधिनियम की धारा 94 का स्पष्टीकरण (जो साक्ष्य की धारा 96 के साथ समान रूप से है)। अधिनियम) स्पष्ट करता है किः

जब किसी अदालत को किसी दस्तावेज़ की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है, तो वह उसकी भाषा को देखती है। यदि भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है और मौजूदा तथ्यों पर सटीक रूप से लागू होती

है, तो अदालत सादे और सामान्य अर्थ को स्वीकार करती है। जब यह कहा जाता है कि अदालत को [2020] 14 एस. सी. आर. देखना चाहिए।

सभी परिस्थितियों में एक लेखक के इरादे को खोजने के लिए, यह केवल है यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या शब्द लागू होते हैं

मौजूदा तथ्यों के लिए सटीक। लेकिन अगर शब्द स्पष्ट हैं आसपास की परिस्थितियों के संदर्भ में, न्यायालय

लेखक को किसी इरादे का श्रेय देने के लिए उन पर भरोसा नहीं कर सकते

में प्रयुक्त शब्दों के स्पष्ट अर्थों के विपरीत

दस्तावेज़ "। 9999

(जोर दिया गया)

अनुबंध की भाषा की व्याख्या करना। इस संबंध में, संदार आंग स्वीकार करते हैं कि बाहरी सामग्री स्वीकार्य है, भले ही अनुबंध की सरल भाषा में कोई अस्पष्टता मौजूद नहीं है। हालाँकि, अस्पष्टता अभी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें अदालत केवल प्रासंगिक संविदात्मक शब्द, वाक्यांश या शब्द पर एक ऐसी व्याख्या कर सकती है जो अपनी साधारण भाषा द्वारा निर्धारित की जाने वाली व्याख्या से अलग है यदि अनुबंध के संदर्भ पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रश्न में शब्द, वाक्यांश या शब्द दो या अधिक संभावित अर्थ ले सकता है, यानी, यदि अव्यक्त अस्पष्टता है। संदार आंग में, अनुमान को ध्यान में रखने के बाद, वाक्यांश "रोगी द्वारा और उसकी ओर से किए गए सभी शुल्क, खर्च और देनदारियों" का अर्थ संभावित रूप से परिकल्पित एंजियोप्लास्टी के संबंध में रोगी द्वारा और उसकी ओर से किए गए सभी शुल्क, खर्च और देनदारियों से लिया जा सकता है। इस प्रकार, न्यायालय के पास संविदात्मक शब्द (या, अधिक अनौपचारिक भाषा में, उस शब्द को "पढ़ने" के लिए) पर एक संकीर्ण व्याख्या रखने का एक वैध आधार था, जो अन्यथा इसकी व्यापक और सामान्य भाषा द्वारा समर्थित नहीं होता। यह तर्क देना संभव हो सकता है कि अदालत ने संदार आंग में जो किया वह वास्तव में साक्ष्य की धारा 94 के उल्लंघन में प्रासंगिक संविदात्मक शर्तों का परिवर्तन था।

एक्ट करें। इस मुद्दे को नीचे [122] [123] में अधिक विस्तार से संबोधित किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना बाकी है कि संदार आंग में धारा 94 के प्रावधान (च) पर चर्चा नहीं की गई थी। इस प्रकार, यह मुद्दा कि क्या अस्पष्टता है इस परंतुक को लागू करने के लिए एक पूर्व शर्त थी और संविदात्मक व्याख्या के लिए सामान्य कानून प्रासंगिक दृष्टिकोण के साथ इसके संबंध को खुला छोड़ दिया गया था। एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड

वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कानूनी मामलों में अदालतों द्वारा दृढ़ता से। सिंगापुर की अदालतें हमेशा संविदात्मक निश्चितता की आवश्यकता के प्रति सचेत रही हैं। विशेष रूप से वाणिज्यिक समझौतों में (जैसे कि वर्तमान मामले में नीति)। अग्रवर्ती चिकित्सा प्रौद्योगिकी (पीटीई) लिमिटेड बनाम

आधुनिक-पाक पीटीई लिमिटेड [2006] 1 एसएलआर 927, उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि न केवल "अनुबंध की पवित्रता. वाणिज्यिक लेनदेन में निश्चितता और पूर्वानुमेयता के लिए महत्वपूर्ण" है, बल्कि यह भी है:

वाणिज्यिक निश्चितता के महत्व की धारणा और

पूर्वानुमेयता वाणिज्यिक कानून के भीतर गहराई से निहित है।

उसके लिए वाणिज्यिक पक्ष (और यहां तक कि गैर-वाणिज्यिक पक्ष भी) विशेष रूप से)।

112 हालांकि, पैरोल साक्ष्य नियम केवल वहीं संचालित होता है जहां अनुबंध पक्षों द्वारा अपने समझौते की सभी शर्तों को शामिल करने के लिए किया गया था। जहां संविदात्मक शर्तें उनके चेहरे पर अस्पष्ट हैं, यह संभावना है कि अनुबंध में पार्टियों द्वारा इच्छित सभी शर्तें शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, यह पता लगाने के लिए कि क्या पक्ष अनुबंध में अपने पूरे समझौते को शामिल करने का इरादा रखते हैं, अदालत अनुबंध के बाहरी साक्ष्य या आसपास की परिस्थितियों का संज्ञान ले सकती है।

113 यह मानते हुए कि अनुबंध वह है जिस पर पैरोल साक्ष्य नियम लागू होता है, कोई भी बाहरी साक्ष्य इसकी शर्तों का खंडन करने, बदलने, जोड़ने या घटाने के लिए स्वीकार्य नहीं है (साक्ष्य अधिनियम की धारा 94 देखें)।

(जोर दिया गया)

अंत में, अंत में एक सारांश में, अपील न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 132 संक्षेप में, लिखित को प्रभावित करने के लिए बाहरी साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए सिंगापुर में अपनाया गया दृष्टिकोण

अनुबंध व्यावहारिक और सैद्धांतिक होते हैं। इस दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(क) न्यायालय को जाँच किए जा रहे दस्तावेज़ के सार और विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में बाहरी साक्ष्य के लिए अदालत का व्यवहार दस्तावेज़ की प्रकृति के आधार पर भिन्न हो सकता है। सामान्य तौर पर, अदालत [2020] 14 एस. सी. आर.

बाहरी साक्ष्य को प्रभावित करने की अनुमति देने के लिए अधिक अनिच्छुक होना चाहिए मानक प्रपत्र अनुबंध और वाणिज्यिक दस्तावेज।

इसमें पक्षों के समझौते की सभी शर्तें शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, जहां एक अनुबंध पूर्ण होता है, अनुबंध की भाषा पक्षों के इरादों का प्रथम दृष्टया प्रमाण है।

(ग) लिखित शब्दों की व्याख्या में सहायता के लिए धारा 94 के परंतुक (च) के तहत बाहरी साक्ष्य स्वीकार्य है। हमारी अदालतें अब इस परंतुक के माध्यम से, व्याख्या के लिए आधुनिक प्रासंगिक दृष्टिकोण को अपनाती हैं, जो आज तक कानून के इस क्षेत्र में इंग्लैंड में हुए विकास के अनुरूप है। महत्वपूर्ण रूप से, अस्पष्टता परंतुक (च) से धारा 94 के तहत बाहरी साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए एक पूर्व शर्त नहीं है।

पूर्व वार्ता और बाद के आचरण का संबंध है, हम मैकमिल के लेख और निकोल्स के लेख में व्यक्त किए गए विचारों को प्रेरक पाते हैं। इस कारण से, पिछली वार्ताओं या बाद के संचालन के साक्ष्य के खिलाफ कोई पूर्ण या कठोर निषेध नहीं होना चाहिए, हालांकि, सामान्य मामले में, इस तरह के साक्ष्य उपरोक्त [125] और [128] [129] में निर्धारित आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के लिए अस्वीकार्य होने की संभावना है। (हमें यह जोड़ना चाहिए कि बाद के आचरण की प्रासंगिकता एक विवादास्पद और विकसित विषय बनी हुई है इसके लिए अधिक उपयुक्त समय पर इस न्यायालय द्वारा अधिक व्यापक जांच की आवश्यकता होगी।) व्यक्तिपरक इरादे की घोषणाएं उन शब्दों को अर्थ देने के उद्देश्य को छोड़कर अस्वीकार्य रहती हैं जिन्हें विलंबित रूप से अस्पष्ट होने के लिए निर्धारित किया गया है।

एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(ई) कुछ मामलों में, विचाराधीन बाहरी साक्ष्य से

लिखित शब्दों की संभावित वैकल्पिक व्याख्याएँ (अर्थात,

इन वैकल्पिक व्याख्याओं का प्रभाव, हमेशा ध्यान में रखते हुए साक्ष्य अधिनियम की धारा 94। अंतिम व्याख्या तक पहुँचने में

जिन शब्दों का अर्थ लगाया जाना है, अदालत उन्हें ध्यान में रख सकती है

इरादे की व्यक्तिपरक घोषणाएँ। इसके अलावा, सामान्य कैनन

व्याख्या प्रासंगिक प्रावधानों के साथ संयोजन में लागू होती है

साक्ष्य अधिनियम, अर्थात एस. एस. 95-100।

उनका विरोध या परिवर्तन न करें। जहाँ न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि पक्षों ने गलत शब्दों का उपयोग किया है, सुधार एक हो सकता है

अधिक उपयुक्त उपाय "।

(जोर दिया गया)

34. सिंगापुर अपील न्यायालय के दृष्टिकोण में हमारा व्यापक दृष्टिकोण है

अनुमोदन, अनुबंधों की व्याख्या के लिए आधुनिक प्रासंगिक दृष्टिकोण के अनुरूप होना। जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 92, धारा 94 और धारा 95 के परंतुक (6) और चित्रण (च) को एक साथ पढ़ा जाता है, तो जो चित्र सामने आता है वह यह है कि जब

एक के प्रदर्शन में पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए दस्तावेज़

अनुबंध, उन सभी को एक जुड़े हुए पूरे के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो प्रत्येक विशेष दस्तावेज़ को "मौजूदा तथ्यों" से संबंधित करता है, जिसमें शामिल है कि पार्टियों के बीच पत्राचार की संपूर्णता को देखते हुए एक विशेष अर्थ में विशेष शब्दों का उपयोग कैसे किया जाता है। इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 में परंतुक (6) के आवेदन के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को पेटेंट अस्पष्टता से संबंधित प्रावधानों को लागू करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसे पहले यह पता लगाना होगा कि क्या किसी विशेष दस्तावेज़ की साधारण भाषा लागू होती है। मौजूदा तथ्यों के लिए सटीक। हालाँकि, यदि यह मौजूदा तथ्यों के संदर्भ में अस्पष्ट या अर्थहीन है, तो यह दिखाने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि किसी विशेष दस्तावेज़ में उपयोग किए गए शब्दों का उपयोग इस अर्थ में किया गया था जो उपरोक्त शब्दों को पक्षों के बीच पत्राचार की संपूर्णता के संदर्भ में सार्थक बना देगा।

35. यह दृष्टिकोण हाल के एक फैसले में भी परिलक्षित होता है।

संचरण निगम में न्यायालय। आंध्र प्रदेश लिमिटेड बनाम जी. एम. आर. वेमागिरी पावर जेनरेशन लिमिटेड, (2018) 3 एस. सी. सी. 716, निम्नानुसार हैः

" 21. किसी भी अस्पष्टता की स्थिति में, अनुबंध की शर्तें सभी [2020] 14 एस. सी. आर. को ध्यान में रखते हुए व्याख्या करनी होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पत्राचार सहित आसपास के तथ्य और परिस्थितियाँ पक्षों के वास्तविक इरादे पर पहुंचने के लिए, और नहीं

बाद में एक पक्ष क्या होने का दावा कर सकता है

इरादा या बाद में शामिल के रूप में कहना, जैसा कि में देखा गया है

बैंक ऑफ इंडिया बनाम के. मोहनदास [बैंक ऑफ इंडिया बनाम। के. मोहनदास,

(2009) 5 एससीसी 313]: (एस. सी. सी पी. 328, पैरा 28)

अनुबंध में उपयोग किए गए स्पष्ट और स्पष्ट शब्द। इरादे. पक्षकारों का पता उनकी भाषा से लगाया जाना चाहिए

प्रयुक्त, आसपास की परिस्थितियों के आलोक में माना जाता है

और अनुबंध का उद्देश्य। प्रकृति और उद्देश्य अनुबंध के इरादे का पता लगाने में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है

पार्टियाँ "। " " "

(पृष्ठ 727)

36. डिवीजन बेंच की श्रीमती पर निर्भरता। कमला देवी (ऊपर)

बहुमत पुरस्कार को अलग रखना पूरी तरह से गलत है। श्रीमती में अनुपात। कमला देवी (ऊपर) शब्दों में निहित हैः

" ..... कभी-कभी जब यह कहा जाता है कि एक न्यायालय को सभी पर गौर करना चाहिए

किसी लेखक के इरादे को खोजने के लिए परिस्थितियाँ, यह केवल उद्देश्य के लिए है यह पता लगाने के लिए कि क्या शब्द मौजूदा तथ्यों पर सटीक रूप से लागू होते हैं।

लेकिन अगर आसपास के संदर्भ में शब्द स्पष्ट हैं

परिस्थितियों में, न्यायालय उन पर निर्भर नहीं रह सकता है कि लेखक का इरादा शब्दों के स्पष्ट अर्थ के विपरीत है

दस्तावेज़ में उपयोग किया गया।

(पृष्ठ 162)

37. तो पढ़ें, श्रीमती में निर्णय। कमला देवी (ऊपर) समझौते

जो यहाँ ऊपर आयोजित किया गया है। यह स्पष्ट है कि तीन महत्वपूर्ण ईमेलों को एल. टी. ए. की संपूर्णता और पक्षों के बीच हुए पत्राचार की आसपास की परिस्थितियों में पढ़ा जाना चाहिए। एक बार जब वह अभ्यास किया जाता है, जैसा कि बहुमत पुरस्कार द्वारा किया गया था, तो यह मानना असंभव है कि बहुमत पुरस्कार इस मामले के तथ्यों पर एक संभावित दृष्टिकोण नहीं है। बहुमत पुरस्कार की निर्भरता जुलाई से पहले और सितंबर से दिसंबर 2009 में दोनों पक्षों के बीच पत्राचार, जिसे श्री विल्कोक्स के साक्ष्य से पुष्टि मिलती है, को इसलिए त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

38. डिवीजन बेंच के विवादित फैसले के समर्थन में श्री रोहतगी का तर्क कि इसका कोई सबूत नहीं है

उल्लंघन की तारीख को हुई क्षति भी तथ्यात्मक रूप से गलत है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण गुणवत्ता के साथ-साथ उसके समक्ष साक्ष्य की मात्रा का अंतिम न्यायाधीश है (सुदर्शन ट्रेडिंग देखें)।

को. वी. सरकार. केरल का, (1989) 2 एस. सी. सी. 38 पृष्ठ 53 पर)। जैसा कि श्री सिब्बल ने सही बताया था, बहुमत पुरस्कार में श्री विल्कोक्स के दिनांकित 10.07.2013 के शपथ पत्र और दिनांकित अतिरिक्त शपथ पत्र को ध्यान में रखा गया है

03.09.2013 पाँचवीं डिलीवरी अवधि के दौरान चीनी खरीदारों को कोयले की बिक्री किस कीमत पर की गई थी, जिसका विवरण 30.09.2009 पर समाप्त हुआ, जो बहुमत पुरस्कार द्वारा पाए गए उल्लंघन की तारीख थी। इसके अलावा, दिनांकित पत्रों सहित समकालीन पत्राचार

27.11.2009 और 03.12.2009 पर यह दिखाने के लिए भी भरोसा किया गया था कि प्रतिवादी स्वयं लगभग 128 डॉलर प्रति कोयले की कीमत पर कोयले की मांग कर रहा था।

मीट्रिक टन, लगभग एक ही समय में। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा मुरलीधर चिरंजीलाल बनाम में निर्धारित कानून के अनुसार, संविदात्मक मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर $173.383 प्रति मीट्रिक टन के रूप में तय किया गया था। हरिश्चंद्र द्वारकादास और अन्न। ,

(1962) 1 एस. सी. आर. 653, निम्नानुसार हैः

" हम इस संबंध में चाओ वी में निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं। ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड शिपर्स लिमिटेड [(1954) 1 सभी ई. आर. 779,797] जो वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुरूप हैंः

बिक्री, और यह, जैसा कि मैं इसे समझता हूं, नुकसान के सामान्य माप पर कोई फर्क नहीं डालता है जहां एक बाजार है। जिस बात पर विचार किया जाता है वह यह है कि व्यापारी रेसल के लिए खरीदता है, लेकिन अगर माल उसे नहीं दिया जाता है, तो वह बाजार में जाएगा और इसी तरह का सामान खरीदेगा और उसमें अपने अनुबंध का सम्मान करेगा।

रास्ता। यदि बाजार में गिरावट आई है तो उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, यदि बाजार में वृद्धि हुई है तो नुकसान का माप अंतर है। बाजार मूल्य में "।

इन परिस्थितियों में यह ऐसा मामला नहीं है जहां यह कहा जा सके कि जब पक्षों ने अनुबंध किया था तो उन्हें पता था कि उल्लंघन का संभावित परिणाम यह होगा कि खरीदार कलकत्ता में लाभ नहीं कमा पाएगा। यह कहीं भी पुनः बिक्री के लिए माल की खरीद का एक सरल मामला है और इसलिए नुकसान का माप [2020] 14 एस. सी. आर. है।

इस तरह के उल्लंघन से चीजें। इसका मतलब है कि प्रतिवादी को करना था समान के लिए उल्लंघन की तारीख को कानपुर में बाजार दर साबित करें

माल और जो नुकसान की राशि तय करेगा, उस दर के मामले में

उल्लंघन की तारीख को अनुबंध दर से ऊपर चला गया था। हम हैं।

इसलिए राय है कि यह विशेष प्रकार का मामला नहीं है

जिन शब्दों को दलों को पता था, जब उन्होंने बनाया था

अनुबंध, इसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने की संभावना है

एस. 73 अनुबंध अधिनियम लागू होता है। यह अनुबंध का एक सामान्य मामला है।

व्यापारियों के बीच जो स्वाभाविक रूप से "जो" शब्दों से आच्छादित हैं

इस तरह के उल्लंघन से चीजों के सामान्य पाठ्यक्रम में उत्पन्न हुआ

एस में। 73. चूंकि प्रत्यर्थी समान दर साबित करने में विफल रहा था

कानपुर में उल्लंघन की तारीख को कैनवास किसी भी अधिकार का हकदार नहीं है परिस्थितियों में नुकसान "।

(पृष्ठ 660-661)

39. एकल न्यायाधीश ने मामले के इस हिस्से की सही सराहना की

उन्होंने इस प्रकार कहाः

" 86. एम. एम. टी. सी. के प्रस्तुतिकरण में जो उसने स्वयं कहा है वह गलत है।

एंग्लो के साथ पत्राचार का आदान-प्रदान हुआ। 25 तारीख के अपने पत्र में

सितंबर, 2009 में, एम. एम. टी. सी. ने यू. एस. डी. 128 को '2009' दर के रूप में वर्णित किया।

27 नवंबर, 2009 के अपने पत्र में "2009 की कीमत" का उल्लेख किया गया है।

अमेरिकी डॉलर 128/125 PMT "का स्तर। 3 दिसंबर को लिखे अपने पत्र में,

2009 एम. एम. टी. सी. ने "वर्तमान मूल्य पर खरीदा जा रहा कोयला" का उल्लेख किया

अमेरिकी डॉलर 128.25 PMT का। " इसके अलावा उनके साथ फिर से बातचीत किए गए अनुबंध सेल और आर. आई. एन. एल. ने कोयले की कीमतों में गिरावट को स्वीकार किया

128 अप्रैल, 2009 से मार्च 2010 की अवधि के दौरान। तारीख.

30 सितंबर, 2009 का दिन उक्त तिथियों के बीच आया और यह था

प्रचलित बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए गणना की जाने वाली तिथि।

87. बहुमत पुरस्कार अपने निष्कर्ष के आधार पर दिया गया है

उपरोक्त साक्ष्य का आधार। यह एक ऐसा दृष्टिकोण था जो संभव था ए. टी. को उपलब्ध कराए गए साक्ष्य पर लिया गया। अदालत नहीं है

उक्त निष्कर्ष को विकृत या स्पष्ट रूप से रखने के लिए राजी किया गया

अवैध "।

40. यह मामला होने के कारण, श्री रोहतगी को स्वीकार करना संभव नहीं है।

ऐसा नहीं है कि दिनांकित 27.11.2009 या 03.12.2009 अक्षर प्रतिबिंबित नहीं करते हैं

उल्लंघन की तारीख को कोयले का आर्केट मूल्य या बाजार एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड।

वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कोयले की कीमत विशेष दीर्घकालिक अनुबंधों से स्थापित नहीं की जा सकती है जो उल्लंघन की तारीख के लगभग एक ही समय पर काम कर रहे हैं। इसलिए इस तर्क को खारिज किया जाना चाहिए।

41. वर्तमान मामला एक अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन का है।

मध्यस्थता, बहुमत पुरस्कार नई दिल्ली में 12.05.2014 पर दिया जा रहा है। नतीजतन, इस मामले पर कानून के आधार पर बहस की गई है क्योंकि यह मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) के समक्ष था।

अधिनियम, 2015 ["संशोधन"] ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 में धारा 34 (1) और उप-धारा (2ए) में दो स्पष्टीकरण जोड़े, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि "पेटेंट अवैधता का आधार जो पुरस्कार के सामने दिखाई देता है" ऐसा आधार नहीं है जिसे मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 को चुनौती देने के लिए लिया जा सके।

42. एसोसिएट बिल्डर्स (उपरोक्त) के फैसले में रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम में निर्धारित प्रत्येक प्रमुख की जांच की गई। जनरल इलेक्ट्रिक कं., 1994 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 644, चौथे के जोड़ के साथ

ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड में निर्धारित "पेटेंट अवैधता" का प्रमुख। सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एस. सी. सी. 705। चूँकि हम "विकृति सिद्धांत" से चिंतित हैं, इस निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:

" 29. यह स्पष्ट है कि "न्यायिक दृष्टिकोण" का न्यायिक सिद्धांत यह माँग करता है कि निर्णय निष्पक्ष, उचित और उद्देश्यपूर्ण हो। जिस पर

इसके विपरीत, कुछ भी मनमाना और सनकी स्पष्ट रूप से एक ऐसा निर्धारण नहीं होगा जो या तो उचित, उचित या उद्देश्यपूर्ण हो।

(पृष्ठ 75)

" 31. तीसरा न्यायिक सिद्धांत यह है कि एक ऐसा निर्णय जो विकृत या इतना तर्कहीन है कि कोई भी उचित व्यक्ति उस पर नहीं पहुंचा होगा, महत्वपूर्ण है और इसके लिए कुछ हद तक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। यह.

तय किया गया कानून है कि कहाँः

((i) कोई निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्य के आधारित है, या ((ii) एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण कुछ अप्रासंगिक को ध्यान में रखता है।

उस निर्णय पर जो वह लेता है; या

((ग) अपने निर्णय पर पहुँचने में महत्वपूर्ण साक्ष्य की उपेक्षा करता है,

इस तरह का निर्णय अनिवार्य रूप से विकृत होगा।

32. विकृति की एक अच्छी कार्यशील परीक्षा दो निर्णयों में निहित है। उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण में

प्राधिकरण v. गोपी नाथ एंड संस [1992 सप (2) एस. सी. सी. 312], यह आयोजित किया गया थाः (एस. सी. सी पी. 317, पैरा 7)

अप्रासंगिक सामग्री पर विचार करना या यदि निष्कर्ष इतना अपमानजनक रूप से तर्क की अवहेलना करता है कि अतार्किकता के दुष्प्रभाव से पीड़ित है विकृत होने का दोष, तो, निष्कर्ष को कानून में कमजोर बना दिया जाता है।

कुलदिप सिंह बनाम। कॉम. पुलिस के [(1999) 2 एस. सी. सी. 10], यह आयोजित किया गया थाः (एस. सी. सी पी. 14, पैरा 10)

" 10. इसलिए, उन निर्णयों के बीच एक व्यापक अंतर बनाए रखा जाना चाहिए जो विकृत हैं और जो नहीं हैं। यदि कोई निर्णय बिना किसी साक्ष्य या साक्ष्य के लिया जाता है जो पूरी तरह से अविश्वसनीय है और कोई भी उचित व्यक्ति उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो आदेश विकृत होगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड में कुछ सबूत हैं जो स्वीकार्य हैं और जिन पर भरोसा किया जा सकता है, तो यह कितना भी व्यापक हो सकता है, निष्कर्षों को विकृत नहीं माना जाएगा और निष्कर्षों को गलत नहीं माना जाएगा। हस्तक्षेप किया "।

33. यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि जब कोई न्यायालय मध्यस्थता पुरस्कार के लिए "सार्वजनिक नीति" परीक्षण को लागू कर रहा है, तो यह अपील की अदालत के रूप में कार्य नहीं करता है और इसके परिणामस्वरूप तथ्य की त्रुटियां नहीं हो सकती हैं।

ठीक किया गया। तथ्यों पर मध्यस्थ द्वारा एक संभावित दृष्टिकोण को अनिवार्य रूप से पारित करना होगा क्योंकि मध्यस्थ अंतिम मास्टर है

जब वह अपना मध्यस्थ निर्णय देता है तो साक्ष्य की मात्रा और गुणवत्ता पर भरोसा किया जाना चाहिए। इस प्रकार कम साक्ष्य या साक्ष्य के आधार पर एक पुरस्कार जो एक प्रशिक्षित कानूनी दिमाग के लिए गुणवत्ता में माप नहीं करता है, इस स्कोर पर अमान्य नहीं माना जाएगा। एक बार जब यह पाया जाता है कि मध्यस्थ का दृष्टिकोण मनमाना या मनमौजी नहीं है, तो वह तथ्यों पर अंतिम शब्द है। पी. आर. शाह में, शेयर और स्टॉक ब्रोकर

(पी) लिमिटेड बनाम। बी. एच. एच. प्रतिभूति (पी) लिमिटेड [(2012) 1 एस. सी. सी. 594], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः (एससीसी पीपी। 601-02 , पैरा 21)

" 21. एक अदालत साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करके एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय पर अपील में नहीं बैठती है। अ. पुरस्कार को केवल एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड में उल्लिखित आधारों के तहत चुनौती दी जा सकती है।

वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अधिनियम की धारा 34 (2)। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने जांच की है

तथ्य और अभिनिर्धारित किया कि दूसरे प्रत्यर्थी और दोनों

अपीलार्थी उत्तरदायी हैं। मामला जैसा कि पहले द्वारा आगे रखा गया है

कि दूसरा प्रत्यर्थी उत्तरदायी था जैसा कि पहले ने दावा किया था प्रत्यर्थी, लेकिन अपीलार्थी केवल जमीन पर उत्तरदायी नहीं था

कि स्टॉक एक्सचेंज द्वारा नियुक्त मध्यस्थ

बाय-लॉ 248, एक गैर-सदस्य के खिलाफ एक दावे में, नहीं था

किसी अन्य सदस्य के खिलाफ दावे पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र। द.

बहुमत का निष्कर्ष यह है कि अपीलार्थी ने लेनदेन किया था

दूसरे प्रत्यर्थी के नाम पर और इसलिए उत्तरदायी है

दूसरे उत्तरदाता के साथ। इसलिए, अनुपस्थिति में

अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत किसी भी आधार पर, यह संभव नहीं है

तथ्यों की फिर से जांच करने के लिए यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई अलग निर्णय है

पहुँचा जा सकता है। "

34. इस बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी के साथ ही भारतीय कानून की मौलिक नीति का हिस्सा बनने वाले दो बुनियादी सिद्धांतों (कि मध्यस्थ का न्यायिक दृष्टिकोण होना चाहिए और उसे विकृत रूप से कार्य नहीं करना चाहिए) को समझना चाहिए।

(पृष्ठ 75-77)

42. 1996 के अधिनियम में, इस सिद्धांत को पेटेंट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

अवैधता "सिद्धांत जिसमें, बदले में, तीन उपशीर्षक शामिल हैं: 42.1 . (क) भारत के मूल कानून के उल्लंघन के परिणामस्वरूप मध्यस्थता पुरस्कार की मृत्यु हो जाएगी। यह होना ही चाहिए।

इस अर्थ में समझा गया कि इस तरह की अवैधता मामले की जड़ तक जानी चाहिए और तुच्छ प्रकृति की नहीं हो सकती है। यह वास्तव में अधिनियम की धारा 28 (1) (ए) का उल्लंघन है, जो इस प्रकार है:

" 28. विवाद के सार पर लागू नियम। — (1) कहाँ?

मध्यस्थता का स्थान भारत में स्थित है।

(ए) एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक के अलावा एक मध्यस्थता में मध्यस्थता, मध्यस्थ न्यायाधिकरण विवाद का फैसला करेगा

मूल कानून के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया गया

भारत में कुछ समय के लिए लागू; "

42.2 . (बी) मध्यस्थता अधिनियम के उल्लंघन को ही एक पेटेंट अवैधता के रूप में माना जाएगा- उदाहरण के लिए यदि कोई मध्यस्थ अधिनियम की धारा 31 (3) के उल्लंघन में किसी पुरस्कार के लिए कोई कारण नहीं देता है, तो ऐसा पुरस्कार रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।

42.3 . (ग) समान रूप से, पेटेंट अवैधता का तीसरा उपशीर्षक वास्तव में एक है मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 (3) का उल्लंघन, जो पढ़ता है

निम्नानुसारः

(3) सभी मामलों में मध्यस्थ न्यायाधिकरण इसके अनुसार निर्णय लेगा। अनुबंध की शर्तों के साथ और ध्यान में रखा जाएगा

लेन-देन पर लागू व्यापार के उपयोग।

इस अंतिम उल्लंघन को एक चेतावनी के साथ समझा जाना चाहिए। अ.

अनुबंध, लेकिन अगर एक मध्यस्थ एक में अनुबंध की अवधि का अर्थ है उचित तरीके से, इसका मतलब यह नहीं होगा कि पुरस्कार निर्धारित किया जा सकता है

इस जमीन पर। एक अनुबंध की शर्तों का निर्माण है

अनुबंध इस तरह से कि इसे कुछ कहा जा सकता है कि कोई भी निष्पक्ष या समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता था।

(पृष्ठ 81)

43. इस फैसले का लगातार पालन किया गया है

समान निर्णय, जिनमें शामिल हैंः

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम आईटीडी

ए।

सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, (2015) 14 एस. सी. सी. 21 पैराग्राफ में

24 (पृष्ठ 38);

बी।

सेन्ट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल इंक. v. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, (2017) पैराग्राफ 45 पर 2 एस. सी. सी. 228 (पृष्ठ)

252) ; वेंचर ग्लोबल इंग. एल. एल. सी. बनाम टेक महिंद्रा लिमिटेड,

सी।

(2018) 1 पैराग्राफ 85 पर एस. सी. सी. 656 (पेज 687);

सतलुज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम राज्य (चंडीगढ़ का केंद्र शासित प्रदेश),

डी।

(2018) 1 पैराग्राफ 11 पर एस. सी. सी. 718 (पृष्ठ 722); महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम

ई.

दातार स्विचगियर लिमिटेड, (2018) 3 एस. सी. सी. 133 पैराग्राफ पर

51 (पृष्ठ 169);

एफ.

एच. आर. डी. कार्पोरेशन। वी. गेल (इंडिया) लिमिटेड, (2018) 12 एससीसी 471

पैराग्राफ 18-19 (पृष्ठ 493) पर;

एम. पी. पावर जेनरेशन कं. लिमिटेड वी. एएनएसएएलडीओ एनर्जीया

जी।

स्पा, (2018) 16 पैराग्राफ 25 पर एस. सी. सी. 661 (पृष्ठ 679); एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड।

वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एच.

313 पैराग्राफ 34 (पेज 328) पर; झारखंड राज्य बनाम। एच. एस. एस. एकीकृत एस. डी. एन. (2019) 9

आई.

पैराग्राफ 7 (पेज 804) पर एस. सी. सी. 798; और

सांगयोंग एंग। & कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम एनएचएआई,

जे.

(2019) 15 पैराग्राफ 20 पर SCC 131,34-36 (पृष्ठ 154,

169-170) .

44. एसोसिएट बिल्डर्स (उपरोक्त) में निर्धारित न्यायिक समीक्षा के मापदंडों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि न तो मौलिक आधार

भारतीय कानून की नीति, और न ही इस मामले के तथ्यों में पेटेंट अवैधता का आधार बनाया गया है, इस तथ्य को देखते हुए कि बहुमत पुरस्कार निश्चित रूप से मामले में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर एक संभावित दृष्टिकोण है, जिसे या तो विकृत होने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

या बिना किसी सबूत के आधारित होना।

45. हालाँकि, श्री रोहतगी ने हाल ही में कई बातों पर भरोसा किया।

निर्णय, जो उनके अनुसार, एसोसिएट बिल्डर्स (उपरोक्त) में कानून की व्याख्या पर और प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार, एमएमटीसी लिमिटेड बनाम। वेदांत लिमिटेड, (2019) 4 एस. सी. सी. 163, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन, और वेड्सबरी [एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस v. वेड्सबरी कॉर्प. , (1948) 1 के. बी. 223 (सी. ए.)] तर्कसंगतता। इसके अलावा, "पेटेंट अवैधता" को स्वयं का उल्लंघन माना गया है

भारत का मूल कानून, 1996 के अधिनियम का उल्लंघन, और

अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. यह केवल तभी है जब इनमें से किसी एक शर्त को पूरा किया जाता है कि न्यायालय धारा 34 (2) (बी) (ii) के संदर्भ में मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप कर सकता है।

लेकिन इस तरह के हस्तक्षेप में विवाद के गुण-दोषों की समीक्षा शामिल नहीं है, और यह उन स्थितियों तक सीमित है जहां मध्यस्थ के निष्कर्ष मनमाने, मनमौजी या विकृत हैं, या जब

न्यायालय की अंतरात्मा हैरान है, या जब अवैधता नहीं है

तुच्छ लेकिन मामले की जड़ तक जाता है। यदि मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण तथ्यों के आधार पर एक संभावित दृष्टिकोण है तो मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। (एसोसिएट बिल्डर्स बनाम देखें। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49. ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम भी देखें। सॉ पाइप्स लिमिटेड, (2003) 5 एस. सी. सी. 705; हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम। फ्रेंड्स कोल कार्बोनाइजेशन, (2006) 4 एस. सी. सी. 445; और मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक. बनाम। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (2006) 11 एस. सी. सी. 181) 13. यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि धारा 34 में 2015 के संशोधन के बाद, उपरोक्त स्थिति कुछ हद तक संशोधित है। धारा 34 (2) में स्पष्टीकरण 1 को सम्मिलित करने के अनुसरण में,

भारतीय सार्वजनिक नीति के उल्लंघन को इस हद तक संशोधित किया गया है कि अब इसका अर्थ पुरस्कार देने में धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार, अधिनियम की धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन है।

भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन, और न्याय या नैतिकता की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव। इसके अलावा,

धारा 34 में उप-धारा (2-ए) जोड़ी गई है, जिसमें प्रावधान है कि घरेलू मध्यस्थता के मामले में भारतीय जनता का उल्लंघन होता है।

नीति में पेटेंट अवैधता भी शामिल है जो पुरस्कार के चेहरे पर दिखाई देती है। उसी के परंतुक में कहा गया है कि एक पुरस्कार केवल कानून के गलत आवेदन या साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर अलग नहीं किया जाएगा।

पुरस्कार के गुणों का एक स्वतंत्र मूल्यांकन करना चाहिए, और केवल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 34 के तहत अदालत द्वारा शक्ति का प्रयोग प्रावधान के दायरे से अधिक नहीं है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यदि धारा 34 के तहत अदालत द्वारा और धारा 37 के तहत अपील में अदालत द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार की पुष्टि की गई है, तो इस अदालत को इस तरह के समवर्ती निष्कर्षों को बाधित करने के लिए बेहद सतर्क और धीमा होना चाहिए।

एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

15. एक मध्यस्थ के साथ हस्तक्षेप के लिए उपरोक्त आधारों को नोट करना पुरस्कार, अब यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तत्काल प्रश्न से संबंधित है

पक्षों के बीच, और इस तरह यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि एक समीक्षा इस तरह के निर्माण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

अभिलेख पर सामग्री का, लेकिन केवल सिद्धांतों के संदर्भ में

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, एक पुरस्कार के साथ हस्तक्षेप को नियंत्रित करना।

16. इस समय यह ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि

किसी अनुबंध की शर्तों की व्याख्या करना, पक्षों का आचरण और

आदान-प्रदान किए गए पत्राचार भी प्रासंगिक कारक होंगे और यह इस पर विचार करना मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में है। [देखें।

मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक. बनाम। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, (2006)

11 एस. सी. सी. 181; प्योर हीलियम इंडिया (पी) लिमिटेड v. ओ. एन. जी. सी. (2003) 8

एससीसी 593 और डी. डी. शर्मा बनाम। भारत संघ (2004) 5 एस. सी. सी.

325] .

17. हम रिकॉर्ड पर सामग्री के साथ-साथ गए हैं

बहुमत पुरस्कार, और विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिवीजन बेंच। मध्यस्थ न्यायाधिकरण का बहुमत भी

जैसा कि न्यायालयों ने अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने पर पाया, दिनांकित 14-12-1993 समझौते सहित, पत्राचार

पक्षकारों और मौखिक साक्ष्य के बीच, कि

ग्राहक, और इसके अलावा एच. टी. पी. एल. को आपूर्ति नहीं थी के बीच किसी भी स्वतंत्र समझ को आगे बढ़ाने में किया गया

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी जो द्वारा शासित नहीं था

दिनांकित समझौता 14-12-1993 "।

(पृष्ठ 166-168)

46. इसी तरह, डायना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में। लिमिटेड वी. क्राम्पटम

ves Ltd., 2019 SCC ऑनलाइन SC 1656, ["डायना टेक्नोलॉजीज"], अदालत ने कहाः

" 26. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34

किसी चुनौती को केवल उसमें दिए गए आधारों पर पुरस्कार तक सीमित करें। या जैसा कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा व्याख्या की गई है। हमें [2020] 14 एस. सी. आर. के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।

तथ्य यह है कि मध्यस्थता पुरस्कारों में आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि पुरस्कार की विकृति मामले की जड़ तक जाती है, बिना वैकल्पिक व्याख्या की संभावना के जो मध्यस्थता पुरस्कार को बनाए रख सकती है। धारा 34 अपने दृष्टिकोण में अलग है और इसे सामान्य अपीलीय क्षेत्राधिकार के बराबर नहीं माना जा सकता है। धारा 34 के तहत अधिदेश मध्यस्थता पुरस्कार की अंतिमता और कानून के तहत प्रदान किए गए एक वैकल्पिक मंच द्वारा अपने विवाद का निर्णय लेने के लिए पार्टी की स्वायत्तता का सम्मान करना है। यदि न्यायालय तथ्यात्मक पहलुओं पर सामान्य पाठ्यक्रम में मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप करते हैं, तो वैकल्पिक विवाद समाधान का विकल्प चुनने के पीछे वाणिज्यिक ज्ञान निराश होगा।

27. इसके अलावा, इस न्यायालय के कई निर्णयों ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालयों को केवल तथ्यों पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के कारण किसी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अनुबंध की व्याख्या
मौजूद है। अदालतों को सतर्क रहने की जरूरत है

और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्थगित कर देना चाहिए, भले ही पुरस्कार में प्रदान किया गया तर्क निहित हो, जब तक कि ऐसा पुरस्कार धारा 34 के तहत अक्षम्य विकृति को चित्रित नहीं करता है।

मध्यस्थता अधिनियम "।

47. पारसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड बनाम। राजस्थान राज्य विद्युत

उत्पादन निगम लिमिटेड, (2019) 7 एस. सी. सी. 236, एसोसिएट बिल्डर्स (उपरोक्त) और अन्य मामलों में समीक्षा के मापदंडों का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि मूल्य समायोजन/वृद्धि से संबंधित पहले दावे के संबंध में, मध्यस्थ ने अनुबंध के प्रासंगिक खंडों की व्याख्या की और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा। उच्च न्यायालय ने उस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करते हुए ऐसा करना केवल इसलिए गलत था क्योंकि कुछ अन्य दृष्टिकोण लिया जा सकता था, क्योंकि मध्यस्थ द्वारा की गई व्याख्या एक संभावित थी। इसलिए उच्च न्यायालय के फैसले को इस हद तक दरकिनार कर दिया गया था। हालाँकि, जहाँ तक दूसरे और तीसरे दावों का संबंध है, उस मामले के तथ्यों पर, निष्कर्ष को इतना विकृत या तर्कहीन कहा गया था कि कोई भी उचित व्यक्ति उस पर नहीं पहुँच सकता था।

अभिलेख पर सामग्री/साक्ष्य के आधार पर, जिसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया था।

48. दक्षिण पूर्व एशिया में मरीन इंग। & कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड (एस. ई. ए. एम. ई. सी. लिमिटेड) v. ऑयल इंडिया लिमिटेड, (2020) 5 एस. सी. सी. 164, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने डायना टेक्नोलॉजीज (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले को संदर्भित किया और पाया कि एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीवाई लिमिटेड की व्याख्या।

वी. एमएमटीसी लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उच्च गति वाले डीजल की दर में परिवर्तन को शामिल करने के लिए अनुबंध के खंड 23 के अर्थ का विस्तार करने में मध्यस्थ न्यायाधिकरण, संबंधित अनुबंध की संभावित व्याख्या भी नहीं होने के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय को रद्द करने को गलत नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, अन्य संविदात्मक शर्तों को जब इस व्याख्या के साथ देखा जाता है तो यह भी इस तरह के निष्कर्ष को विकृत बना देगा।

49. पटेल एंग में। लिमिटेड वी. पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति

कॉर्प. लिमिटेड, (2020) 7 एस. सी. सी. 167, यह न्यायालय, एसोसिएट बिल्डर्स (सुप्रा) और सांगयोंग एंग में बताए गए कानून को स्थापित करने के बाद। &

कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम एनएचएआई, (2019) 15 एससीसी 131 ने विकृति का परीक्षण लागू किया और फिर निष्कर्ष निकालाः

" 26. भले ही उच्च न्यायालय ने फैसले के पैरा 44 में पश्चिमी गेको [ओ. एन. जी. सी.] सहित विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया गया

वी. वेस्टर्नजीको इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एस. सी. सी. 263] [जो

अब अच्छा कानून नहीं है], मामले पर फैसला किया गया है इस आधार पर कि मध्यस्थता पुरस्कार एक विकृत पुरस्कार है और एक समग्र पर है

अनुबंध के सभी नियमों और शर्तों को पढ़ना, दृष्टिकोण

मध्यस्थ द्वारा लिया गया एक संभावित दृष्टिकोण भी नहीं है। उच्च न्यायालय ने एसोसिएट के पैरा 42.3 में निर्धारित परीक्षण का सही ढंग से पालन किया है

बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डीडीए, (2015) 3 एससीसी 49, पैरा

40 45], जिसे सांगयोंग एंग के पैरा 40 में दोहराया गया था। [सांगयोंग एंग। & कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम एनएचएआई, (2019)

15 एस. सी. सी. 131, पैरा 19] निर्णय।

अधिनियम, उच्च न्यायालय ने मामले पर विस्तार से विचार किया है, और अभिनिर्धारित किया कि अनुबंध की शर्तों की व्याख्या करते समय, कोई उचित नहीं

व्यक्ति एक अलग निष्कर्ष पर पहुँच सकता था और कि

मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार अतार्किकता से ग्रस्त होते हैं।

और विकृति "।

(पृष्ठ

179-180)

50. उपरोक्त सभी निर्णय ऐसे निर्णय हैं जिन पर,

एसोसिएट बिल्डर्स (उपरोक्त) और उनकी संतानों में निर्धारित परीक्षणों को लागू करने के बाद तथ्यों को एक विशेष तरीके से तय किया गया है। ये सभी निर्णय

अपने स्वयं के तथ्यों पर मुड़ें। उनमें से कोई भी हमारे समक्ष मामले में कोई आवेदन नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे द्वारा यह पाया गया है कि वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाली तथ्य स्थिति में, पक्षकारों के बीच पत्राचार की संपूर्णता को देखते हुए बहुमत पुरस्कार निश्चित रूप से मामले का एक संभावित दृष्टिकोण है और इस प्रकार, किसी भी तरह से विकृत के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की

रिपोर्ट

51. तदनुसार, अपील

स्वीकार की जाती है। का निर्णय

ए.

डिवीजन बेंच दिनांक 02.03.2020

को अलग कर दिया जाता है, जिससे प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत किए गए आवेदन को खारिज करते हुए बहुमत पुरस्कार दिनांक 12.05.2014 और एकल न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 10.07.2015 को बहाल किया जाता है।

देविका गुजराल